

प्रकाशक

छगनमल वाकलीवाल
मालिक—जैन-ग्रन्थ-कारकर कार्यालय
हीरावाग, पो० गिरगाँव-वम्बई ।



मुद्रक—

मंगेश नारायण कुलकर्णी
कर्नाटक प्रेस
३१८ ए, ठाकुरद्वार, वम्बई २

प्रकाशकके दो शब्द

जैन समाजके सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारकी लेखनीसे प्रकट हुआ यह प्रन्थ जैन साहित्यमें एक विलकुल ही नई चीज़ है—मुख्तार साहबके गहरे अनुसंधान, विचार तथा परिश्रमका फल है। इसमें बड़ी खोजके साथ जैनाचार्योंके पारस्परिक शासनभेदको दिखलाते हुए, श्रावकोंके अष्ट मूलगुणों, पंच अणुव्रतों, तीन गुणव्रतों, चार शिक्षाव्रतों और रात्रिभोजनत्याग नामक व्रतपर अच्छा प्रकाश डाला गया है। साथ ही, जैनतीर्थकरोंके शासनभेदका भी, उसके कारण सहित, कितनाही सप्रमाण दिग्दर्शन कराया गया है और उसमें मूलोचर गुणोंकी व्यवस्थाको भी खोला गया है। यह प्रन्थ जैनशासनके मर्म, रहस्य अथवा उसकी वस्तुस्थितिको समझनेके लिए बड़ा ही उपयोगी है और एक प्रकारसे जिनवाणीके रहस्योदयाटनकी कुंजी प्रस्तुत करता है। इससे विवेकजागृतिके साथ साथ, वहुतोंका जिनवाणी—विपयक भ्रम दूर होगा—गलतफहमी मिटेगी—विचार धारा पलटेगी, कदाग्रह नष्ट होगा और उन्हें जैनशास्त्रोंकी प्रकृतिका सच्चा बोध हो सकेगा; और तब वे उनसे ठीक लाभ भी उठा सकेंगे। प्रन्थ विद्वानोंके पढ़ने तथा विचार करने योग्य है। प्रत्येक जैनीको इसे जरूर पढ़ना चाहिये और समाजमें इसका प्रचार करना चाहिये। मुख्तारजीका विचार दूसरे भी कितने ही विषयोंपर जैनाचार्योंके शासनभेदको दिखलानेका है। उसके लिखे जानेपर प्रन्थका दूसरा भाग प्रकट किया जायगा।

प्रकाशक

विपय-सूची



विपय

पृष्ठ

१ प्रकाशकके दो शब्द	(ग)
२ प्रास्ताविक निवेदन	१
३ अष्ट मूलगुण	७
४ अणुक्रत और रात्रिमोजनविराति	२१
५ गुणक्रत और शिक्षाक्रत	४१
६ परिशिष्ट	६५
(क) जैनतीर्थकरोंका शासनभेद (दिगम्बरग्रन्थोंपरसे)			६५
(ख) ,,, (श्वेताम्बर ग्रन्थोंपरसे)			७६
७ शुद्धिपत्र	८०

अर्हम्

जैनाचार्योंका शासनभेद



प्रास्ताविक निवेदन

कुछ समय हुआ जब मैंने 'जैनतीर्थकरोंका शासनभेद' नामका एक लेख लिखा था, जो अगस्त सन् १९१६ के जैनहितैषीमें प्रकाशित हुआ है *। इस लेखमें श्रीवद्वकेराचार्यप्रणीत 'मूलाचार' ग्रंथके आधारपर यह प्रदर्शित और सिद्ध किया गया था कि समस्त जैन तीर्थकरोंका शासन एक ही प्रकारका नहीं रहा है। बल्कि समयकी आवश्यकतानुसार—लोकस्थितिको देखते हुए—उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन ज़रूर होता रहा है। और इस लिये जिन लोगोंका ऐसा ख्याल है कि जैन तीर्थकरोंके उपदेशमें रंचमात्र भी भेद या परिवर्तन नहीं होता—जो वचनवर्गणा एक तीर्थकरके मुखसे खिरती है वही, जौची तुली, दूसरे तीर्थकरके मुँहसे निकलती है, उसमें जारा भी फेरफार नहीं होता—वह ख्याल निर्मूल जान पड़ता है। साथ ही, मूलगुण-उत्तरगुणोंकी प्रखण्डणाके कुछ रहस्यका दिग्दर्शन कराते हुए, यह भी बतलाया था कि सर्व समयोंके मूल-गुण कभी एक प्रका-

* यह लेख कुछ परिवर्तन और परिवर्धनके साथ, अन्तमें बतौर परिचिष्ठके दें दिया गया है।

रके नहीं हो सकते। किसी समयके शिष्य संक्षेपप्रिय होते हैं और किसी समयके विस्ताररचिताले। कभी लोगोंमें ऋजुजडताका अधिक संचार होता है, कभी वक्रजडताका और कभी इन दोनोंसे अतीत अवस्था होती है। किसी समयके मनुष्य स्थिरचित्त, दृढ़बुद्धि और बलचान् होते हैं और किसी समयके चलचित्त, विस्मरणशील और निर्वल। कभी लोकमें मूढ़ता बढ़ती है और कभी उसका हास होता है। इस लिये जिस समय जैसी जैसी प्रकृति और योग्यताके शिष्योंकी—उपदेशपात्रोंकी—बहुलता होती है, उस समय उस वक्तकी जनताको लक्ष्य करके तीर्थकरोंका उसके उपयोगी वैसा ही उपदेश तथा वैसा ही व्रतनियमादिकका विधान होता है। उसीके अनुसार मूलगुणोंमें भी हेरफेर हुआ करता है।

आज मैं अन्तिम तीर्थकर श्रीमहावीरस्वामीके पश्चात् होनेवाले जैनाचार्योंके परस्पर शासनभेदको दिखलाना चाहता हूँ। यह परस्परका शासनभेद दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही संप्रदायोंमें पाया जाता है। अतः, इस लेखमें, दिगम्बराचार्योंके शासन-भेदको प्रकट करते हुए श्वेताम्बराचार्योंके शासनभेदको भी यथाशक्ति दिखलानेकी चेष्टा की जायगी। इस शासन-भेदको प्रदर्शित करनेमें मेरा अभिग्राय केवल इतना ही है कि जैनियोंको वस्तु-स्थितिका यथार्थ परिज्ञान हो जाय, वे अपने वर्तमान आगमकी वास्तविक स्थिति और उसके यथार्थ स्वरूपको भले प्रकार समझने लगें और इस तरहसे प्रबुद्ध होकर अपना वास्तविक हितसाधन करनेमें समर्थ हो सकें। साथ ही, भेद-विषयोंके सामने आनेपर विद्वानोंद्वारा उनके कारणोंका गहरा अनुसंधान हो सके और फिर इस अनुसंधान-द्वारा तत्त्वोंलीन सामाजिक

तथा दैशिक परिस्थितियोंका बहुत कुछ पता चलकर ऐतिहासिक क्षेत्रपर एक अच्छा प्रकाश पड़ सके। हमारे जैनी भाई, आमतौरपर, अभीतक यह समझे हुए हैं कि हिन्दू धर्मके आचार्योंमें ही परस्पर मत-भेद था। इसीसे उनके श्रुति-सृति आदि ग्रंथ विभिन्न पाये जाते हैं। जैनाचार्य इस मतभेदसे रहित थे। उन्होंने जो कुछ कहा है वह सब सर्वज्ञोंदित अथवा महावीर भगवानकी दिव्यध्वनि-द्वारा उपदेशित ही कहा है। और इस लिये, उन सबका एक ही शासन और एक ही मत था। परन्तु यह सब समझना उनकी भूल है। जैनाचार्योंमें भी वरावर मत-भेद होता आया है। यह दूसरी बात है कि उसकी मात्रा, अपेक्षाकृत, कुछ कम रही हो, परन्तु मतभेद रहा अखूर है। मत-भेदका हीना सर्वथा ही कोई बुरी बात भी नहीं है, जिसे घृणाकी दृष्टिसे देखा जाय। सद्दुर्व्यय और सदाशयको लिये हुए मत-भेद बहुत ही उन्नतिजनक होता है। और उसे धर्म तथा समाजकी जीवनीशक्ति और प्रगतिशीलताका धोतक समझना चाहिये। जब, थोड़े ही काल x बाद महावीर भगवानको श्रीपार्श्वनाथ तीर्थकरके शासनसे अपने शासनमें, समयानुसार, कुछ विभिन्नताएँ करनी पड़ीं—जैसा कि ‘मूलाचार’ आदि ग्रंथोंसे प्रकट है—तब दो ढाई हजार वर्षके इस लम्बे चौड़े समयके भीतर, देशकालकी आवश्यकताओं आदिके अनुसार, यदि जैनाचार्योंके शासनमें परस्पर कुछ भेद होगया है—वीर भगवानके शासनसे भी उनके शासनमें कुछ विभिन्नता आगई है—तो इसमें कुछ भी आश्वर्यकी बात अथवा अप्राकृतिकता नहीं है। जैनाचार्य देश-कालकी परिस्थितियोंके

x कोई २२० वर्षके बाद ही; क्योंकि पार्श्वनाथके निर्वाणसे महावीरके तीर्थका प्रारंभ प्रायः इतने ही वर्षोंके बाद कहा जाता है।

शासनसे बाहर नहीं हो सकते * । इन्हीं सब वातोंपर प्रकाश ढालनेके लिये यह जैनाचार्योंके शासन-भेदको प्रदर्शित करनेका प्रयत्न किया जाता है ।

यहाँपर मैं इतना और भी प्रकट कर देना जल्दी समझता हूँ कि जैनतीर्थकरोंके विभिन्न शासनमें परस्पर उद्देश्यभेद नहीं होता । समस्त जैनतीर्थकरोंका वही मुख्यतया एक उद्देश्य ‘आत्मासे कर्ममलको दूर करके उसे शुद्ध, सुखी, निर्दोष और स्वाधीन बनाना’ होता है । दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि संसारी जीवोंको संसार-रोग दूर करनेके मार्गपर लगाना ही जैनतीर्थकरोंके जीवनका प्रधान उद्देश्य होता है । एक रोगको दूर करनेके लिये जिस प्रकार अनेक ओषधियाँ होती हैं और वे अनेक प्रकारसे व्यवहारमें लाई जाती हैं; रोगशान्तिके लिये उनमेंसे जिस वक्त जिस जिस ओषधिको जिस जिस विधिसे देनेकी जरूरत होती है वह उस वक्त उसी विधिसे दी जाती है—इसमें न कुछ विरोध होता है और न कुछ वाधा ही आती है, उसी प्रकार संसाररोग या कर्मरोगको दूर करनेके भी अनेक साधन और उपाय होते हैं और जिनका अनेक प्रकारसे प्रयोग किया जाता है; उनमेंसे तीर्थकर देव अपनी अपनी समयकी स्थितिके अनुसार जिस जिस उपायका जिस जिस रीतिसे प्रयोग करना उचित समझते हैं उसका उसी रीतिसे प्रयोग करते हैं । उनके इस प्रयोगमें किसी प्रकारका विरोध या वाधा उपस्थित होनेकी संभावना नहीं हो सकती । परन्तु

* इन्द्रनन्दिने अपने ‘नीतिसार’ ग्रंथमें, यह प्रकट करते हुए कि पंचम कालमें महावीर भगवानका शासन इस भरतक्षेत्रमें नानासंघोंसे आकुल (पीडित) हो गया है, खेदके साथ लिखा है ‘चिचित्राः कालशक्तयः ’—कालकी शक्तियाँ वड़ी ही विचित्र हैं । उनका शासन सभीपर होता है; कोई उससे वच नहीं सकता ।

जैनाचार्योंके सम्बन्धमें—उनके विभिन्न शासनके विषयमें—ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता; वह परस्पर विरुद्ध, बाधित और उद्देश्य-भेदको लिये हुए भी हो सकता है। क्योंकि जैनाचार्य, तीर्थकरों अथवा इतर केवल-ज्ञानियोंके समान, ज्ञानादिककी चरम सीमाको पहुँचे हुए नहीं होते। उनका ज्ञान परिमित, पराधीन और परिवर्तनशील होता है। अज्ञान और कषायका भी उनके उदय पाया जाता है। वे राग-द्वेषसे सर्वथा रहित नहीं होते। साथ ही, उन्हें आगम-ज्ञानकी जो कुछ प्राप्ति होती है वह सब गुरुपरम्परासे होती है। गुरुपरम्परामें केवलियोंके पश्चात् जितने भी आचार्य हुए हैं वे सब क्षायोपशमिक ज्ञानके धारक हुए हैं—सर्वोंका बुद्धिवैभव समान नहीं था, उनके ज्ञानमें बहुत कुछ तरत-मता पाई जाती थी—इस लिये वे सभी आगमज्ञानको अपने अपने मतिविभवानुरूप ही प्रहण करते आए हैं। धारणाशक्ति और स्मृतिज्ञान भी सर्वोंका वरावर नहीं था, बल्कि उसमें उत्तरोत्तर कमीका उल्लेख पाया जाता है, इसलिए उन्होंने स्वकीय गुरुओंसे जो कुछ आगमज्ञान प्राप्त किया उसे ज्योंका त्यों ही अपने शिष्यादिकोंके प्रति प्रतिपादन कर दिया, ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि, जो उपदेश अनेक अज्ञानवासित और कषायानुरं-जित हृदयोंमेंसे होकर प्रतिकूल परिस्थितियोंकी कड़ी धूपमें बाहर आता है वह ज्योंका त्यों ही बना रहता है, उसमें भिन्न प्रकारके गंध-वर्णके संसर्गकी संभावना ही नहीं हो सकती, अथवा वह बाह्य परिस्थितियोंके तापसे उत्तम ही नहीं होता। ऐसी हालत होते हुए आचार्योंके शासनमें—उनके वर्तमान ग्रंथोंमें—यदि कहीं परस्पर विरोध, बाधा और असमीचीनताका भी दर्शन होता है तो इसमें कुछ भी आश्वर्यकी बात नहीं है।

आर्थर्यकी वात तो तब होगी यदि कोई विद्वान् इस वातके कहनेका साहस करे कि संपूर्ण जैनाचार्योंने—जिनमें भट्टारक लोग भी शामिल हैं—जो कुछ भी, विश्वाविश्वरूपसे, कथन किया है वह सब महावीर भगवान्‌के द्वारा ही प्रतिपादित हुआ है। वास्तवमें महावीर भगवान्‌के द्वारा इन सब विभिन्न मतोंका प्रतिपादन होना नहीं बनता। संभव है कि उन्होंने इनमेंसे किसी एक मतका प्रतिपादन किया हो, अथवा यह भी संभव है कि उन्हें इन विभिन्न मतोंमेंसे किसी भी मतके प्रतिपादन करनेकी जखरत ही पैदा न हुई हो, और ये सब विभिन्न कल्पनाएँ आचार्योंके मस्तिष्कोंसे ही उत्पन्न हुई हों। कुछ भी हो, आचार्योंके मस्तकोंसे देशकालानुसार नवीन कल्पनाओंका उत्पन्न होना भी कोई बुरी वात नहीं है, यदि वे कल्पनाएँ जैनधर्मके मूल सिद्धान्तोंके विरुद्ध न हों। ऐसी कल्पनाएँ कभी कभी वहुत ही कार्यसाधक और उपयोगी सिद्ध होती हैं। परन्तु देखना यह है कि ऐसी विभिन्न कल्पनाओं अथवा विभिन्न शासनोंकी हालतमें हमारा क्या कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम साम्प्रदायिक मोह, व्यक्तिगत मोह तथा पक्षपातको छोड़कर अपनी बुद्धिसे उनकी जाँच करें और जाँच करनेपर उनमेंसे जो कल्पना तथा मत हमें युक्ति-प्रमाणसे सिद्ध, जैनसिद्धान्तोंके अविरुद्ध और साथ ही समयानुसार उपयोगी प्रतीत हो उसको ग्रहण करें, शेषका सादर परित्याग किया जाय। यदि हमारी सदसद्विवेकवती बुद्धिमें, देशकालकी वर्तमान स्थितियोंके अनुसार, किसी ऐसी कल्पना तथा मतमें कुछ अविरुद्ध परिवर्तन करनेकी जखरत हो तो उसे उक्त परिवर्तनके साथ स्वीकार करें। और यदि एकसे अधिक मत तथा कल्पनाएँ हमें युक्तियुक्त, अविरुद्ध और उपयोगी प्रतीत हों तो उनमेंसे चाहे जिसको ग्रहण करें और चाहे जिसपर आचरण करें। परन्तु

इन सभी अवस्थाओंमें परित्यक्त, अपरिवर्तित और अनाचरित मत तथा कल्पनाके धारकोंके साथ हमें किसी प्रकारका द्वेष रखने या उन्हें घृणाकी दृष्टिसे देखनेकी जरूरत नहीं है। बन सके तो उन्हें प्रेम-पूर्वक समझाना और यथार्थ वस्तुस्थितिका ज्ञान कराना चाहिये। व्यर्थके साम्प्रदायिक मोह, व्यक्तिगत मोह और पक्षपातके वंशभूत होकर वादविवादके झड़े खड़े करना, आपसमें वैर-विरोध बढ़ाना, एक दूसरेको घृणाकी दृष्टिसे देखना और इस तरहपर अपनी सामाजिक तथा आत्मिक शक्तिकी निर्वल बनाकर उन्नतिमें वाधक होना और साथ ही अनेक विपत्तियोंको जन्म देनेका कारण बनना कदापि ठीक नहीं है। ऐसे ही सदाशयोंको लेकर यह जैनाचार्योंके शासन-भेदको दिखलानेका यत्न किया जाता है।

अष्ट मूलगुण



जौनधर्ममें जिस प्रकार मुनियोंके लिये मूलगुणों और उत्तरगुणोंका विधान किया गया है उसी तरहपर श्रावकों—जैनगृहस्थोंके लिये भी मूलोत्तरगुणोंका विधान पाया जाता है। मूलगुणोंसे अभिप्राय उन व्रतनियमादिकसे है जिनका अनुष्ठान सबसे पहले किया जाता है और जिनके अनुष्ठान पर ही उत्तरगुणोंका अथवा दूसरे व्रतनियमादिकका अनुष्ठान अवलम्बित होता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जिसप्रकार मूलके होते ही वृक्षके शाखा, पत्र, पुष्प और फलादिकका उद्भव हो सकता है उसी प्रकार मूलगुणोंका आचरण होते ही उत्तरगुणोंका आचरण यथेष्ट बन सकता है। श्रावकोंके लिये वे मूलगुण

आठ रखे गये हैं । परंतु इन आठ मूलगुणोंके प्रतिपादन करनेमें आचार्योंके परस्पर मत-भेद है । उसी मत-भेदको यहाँपर, सबसे पहले, दिखलाया जाता है:—

(१) श्रीसमन्तभद्राचार्य, अपने 'रत्नकर्णडश्रावकाचार'में, इन गुणोंका प्रतिपादन इस प्रकारसे करते हैं—

मद्यमांसमधुत्यागैः सहाणुव्रतपञ्चकम् ।

अर्थात् मूलगुणानाहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥

अर्थात्—मद्य, मांस और मधुके त्यागसहित 'पञ्च अणुव्रतोंके पालनको, श्रमणोत्तम, गृहस्थोंके अष्ट मूलगूण कहते हैं । पञ्च अणुव्रतोंसे अभिप्राय स्थूल हिंसा, झूठ, 'चोरी, कुशील और परिप्रह नामके पञ्च पापोंसे विरक्त होनेका है । इन ब्रतोंके कथनके अनन्तर ही आचार्य-महोदयने उक्त पद्य दिया है ।

(२) 'आदिपुराण' के प्रणेता श्रीजिनसेनाचार्य समन्तभद्रके इस उपर्युक्त कथनमें कुछ परिवर्तन करते हैं । अर्थात्, वे 'मधु-त्याग' को मूलगुणोंमें न मानकर उसके स्थानमें 'द्यूत-त्याग' को एक जुदा मूलगुण बतलाते हैं और शेष गुणोंका, समन्तभद्रके समान ही, ज्योंका त्यों प्रतिपादन करते हैं । यथाः—

हिंसाऽसत्यस्तेयादन्रक्षपरिग्रहाच्च वादरभेदात् ।

द्यूतान्मांसान्मद्याद्विरतिर्गृहिणोऽष्ट सन्त्यमी मूलगुणाः ॥

नहीं माल्कम जिनसेनाचार्यने 'मधुत्याग' को मूलगुणोंसे निकाल कर उसके स्थानमें 'द्यूतत्याग' को क्यों प्रविष्ट किया है । संभव है कि दक्षिण देशकी, जहाँ आचार्य महाराजका निवास था, उस समय

ऐसी ही परिस्थिति हो जिसके कारण उन्हें ऐसा करनेके लिये बाध्य होना पड़ा हो—वहाँ धूतका अधिक प्रचार हो और उससे जनताकी हानि देखकर ही ऐसा नियम बनानेकी जखरत पड़ी हो—अथवा सातों व्यसनोंका मूलगुणोंमें समावेश कर देनेकी इच्छासे ही यह परिवर्तन स्वीकार किया गया हो। और ‘मधुविरति’ को इस वजहसे निकालना पड़ा हो कि उसके रखनेसे फिर मूलगुणोंकी प्रसिद्ध ‘अष्ट’ संख्यामें बाधा आती थी। अथवा उसके निकालनेकी कोई दूसरी ही वजह हो। कुछ भी हो, दूसरे किसी भी प्रधानाचार्यने, जिसने अष्ट मूलगुणोंका प्रतिपादन किया है, ‘मधुविरति’ को मूलगुण माननेसे इनकार नहीं किया और न ‘द्युत्विरति’ को मूलगुणोंमें शामिल किया है।

(३) ‘यशस्तिलक’ के कर्ता श्रीसोमदेवसूरि मध्य, मांस और मधुके त्यागरूप समन्तभद्रके तीन मूलगुणोंको तो स्वीकार करते हैं परंतु पंचाणुन्तोंको मूलगुण नहीं मानते, उनके स्थानमें पंच उदुम्बर फलोंके—पूक्ष, न्यग्रोध, पिप्पलादिके—त्यागका विधान करते हैं और लिखते हैं कि आगममें गृहस्थोंके ये आठ मूलगुण कहे हैं। यथा:—

मद्यमांसमधुत्यागाः सहोदुम्बरपञ्चकैः ।

अष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणाः श्रुते ॥

‘भावसंग्रह’ के कर्ता देवसेन आचार्य भी इसी मतके निरूपक हैं। यथा:—

महुमज्जमंसविरर्द्धं चाओ एष उंवराणं पञ्चण्हं ।

अद्वेदे मूलगुणा हवंति फुड्डे देसविरयम्निं ॥ ३५६ ॥

‘पंचाच्यायी’ के कर्ता *महोदयका भी यही मत है। और वे यहाँ तक लिखते हैं कि इन आठ मूलगुणोंके बिना कोई नामका भी श्रावक नहीं होता। यथा:—

मद्यमांसमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बरपञ्चकः ।

नामतः श्रावकः ख्यातो नान्यथापि तथा गृही ॥

उ०-७२६ ॥

पुरुषार्थसिद्धयुपायके निर्माता श्रीअमृतचंद्रसूरि भी इसी मतके पोषक हैं। यद्यपि उन्होंने, अपने ग्रंथमें, अहिंसा व्रतका वर्णन करते हुए इनका विधान किया है और इन्हें स्पष्टरूपसे ‘मूलगुण’ ऐसी संज्ञा नहीं दी है, तो भी ‘हिंसाके त्यागकी इच्छा रखनेवालोंको पहले ही इन मद्य-मांसादिकको छोड़ना चाहिए,’ ‘इन आठ पापके ठिकानोंको त्याग कर ही शुद्धबुद्धिजन जिनधर्मकी देशनाके पात्र होते हैं;’ इन वचनोंसे अष्ट मूलगुणका ही साफ़ आशय पाया जाता है। यथा:—

मद्यं मांसं क्षौद्रं पंचोदुम्बरफलानि यत्नेन ।

हिंसाव्युपरतकामैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव ॥ ६१ ॥

अष्टावनियुक्तरुद्वितीयतनान्यमूर्ति परिवर्ज्य ।

जिनधर्मदेशनाया भवंति पात्राणि शुद्धधियः ॥ ७४ ॥

उपर्युक्त चारों ग्रंथोंके अवतरणोंसे यह विलकुल स्पष्ट है कि इनके कर्ता आचार्योंने ‘पंच अणुव्रतों’ के स्थानमें ‘पंच उदुम्बर फलोंके त्याग’ का विधान किया है और इसलिए इन आचार्योंका शासन समन्तभद्र और जिनसेन दोनोंके शासनसे एकदम विभिन्न जान पड़ता

* ‘पंचाच्यायी’के कर्ता कवि राजमल्ल हुए हैं, जिनका बनाया हुआ ‘लाटी-संहिता’ नामका एक श्रावकाचार ग्रंथ भी है। उसमें भी आपने अपना यह मत इसी श्लोकमें दिया है।

है। कहाँ पंचाणुव्रत और कहाँ पंचोदुम्बर फलोंका त्याग ! दोनोंमें ज्ञानीन आसमानकासा अन्तर पाया जाता है। वस्तुतः विचार किया जाय तो पंच उदुम्बर फलोंका त्याग मांसके लागमें ही आ जाता है; क्योंकि इन फलोंमें चलते फिरते त्रसजीवोंका समूह साक्षात् भी दिखलाई देता है, इनके भक्षणसे मांसभक्षणका स्पष्ट दोष लगता है, इसीसे इनके भक्षणका निषेध किया जाता है। और इसलिये जो मांसभक्षणके लागी हैं वे प्रायः कभी इनका सेवन नहीं कर सकते। ऐसी हालतमें—मांसत्याग नामका एक मूलगुण होते हुए भी—पंच उदुम्बर फलोंके त्यागको, जिनमें परस्पर ऐसा कोई विशेष भेद नहीं है, पाँच अलग अलग मूलगुण करार देना और साथ ही पंचाणुव्रतोंको मूलगुणोंसे निकाल डालना एक बड़ी ही विलक्षण बातमाल्दम होती है। इस प्रकारका परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं होता। यह परिवर्तन कुछ विशेष अर्थ रखता है। इसके द्वारा मूलगुणोंका विषय बहुत ही हल्का किया गया है और इस तरहपर उन्हें अधिक व्यापक बनाकर उनके क्षेत्रकी सीमाको बढ़ाया गया है। बात असिलमें यह माल्दम होती है कि मूल और उत्तर गुणोंका विधान त्रितीयोंके वास्ते था। अहिंसादिक पंचव्रतोंको जो सर्वदेश (पूर्णतया) पालन करते हैं वे महाव्रती, मुनि अथवा यति आदिक कहलाते हैं और जो उनका एकदेश (स्थूल रूपसे) पालन करते हैं उन्हें देशत्री, श्रावक अथवा देशयति कहा जाता है।

जब महाव्रतियोंके २८ मूलगुणोंमें अहिंसादिक पंच महाव्रतोंका वर्णन किया गया है तब देशत्रियोंके मूलगुणोंमें पंचाणुव्रतोंका विधान होना स्वाभाविक ही है और इसलिए समन्तभद्रने पंच अणुव्रतोंको लिए हुए श्रावकोंके अष्ट मूलगुणोंका जो प्रतिपादन किया है वह युक्तियुक्त ही प्रतीत होता है। परंतु बादमें ऐसा जान पड़ता है कि जैन गृहस्थोंको परस्परके

इस व्यवहारमें कि 'आप आवक हैं,' और 'आप आवक नहीं हैं' कुछ भारी असमंजसता प्रतीत हुई है। और इस असमंजसताको दूर करनेके लिए अथवा देशकालकी परिस्थितियोंके अनुसार सभी जैनियोंको एक आवकीय झंडेके तले लाने आदिके लिये जैनचार्योंको इस बातकी जखरत पड़ी है कि मूलगुणोंमें कुछ फेरफार किया जाय और ऐसे मूल-गुण स्थिर किये जायें जो व्रतियों और अव्रतियों दोनोंके लिये साधारण हों। वे मूलगुण मध्य, मांस और मधुके त्यागख्लप तीन हो सकते थे, परंतु चूँकि पहलेसे मूलगुणोंकी संख्या आठ रुढ़ी थी, इस लिये उस संख्याको ज्योंका त्यों कायम रखनेके लिये उक्त तीन मूलगुणोंमें पंचो-दुम्ब्वर फलोंके त्यागकी योजना की गई है और इस तरह पर इन सर्व-साधारण मूलगुणोंकी सृष्टि हुई जान पड़ती है। ये मूलगुण व्रतियों और अव्रतियों दोनोंके लिये साधारण हैं, इसका स्पष्टीकरण पंचाध्यार्योंके निम्न पदसे भले प्रकार हो जाता है:—

* तत्र मूलगुणाश्वाषौ गृहिणां व्रतधारिणां ।

कचिद्व्रतिनां यस्मात् सर्वसाधारणा इमे ॥ ३०-७२३ ॥

परंतु यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि समन्तभद्र-द्वारा प्रतिपादित मूलगुणोंका व्यवहार अव्रतियोंके लिये नहीं हो सकता, वे व्रतियोंको ही लक्ष्य करके लिखे गये हैं, यही दोनोंमें परस्पर भेद है। अस्तु; इस प्रकार सर्वसाधारण मूलगुणोंकी सृष्टि होनेपर, यद्यपि, इन गुणोंके धारक अव्रती भी श्रावकों तथा देशव्रतियोंमें परिगणित होते हैं—सोम-देवने, यशस्तिलकमें, उन्हें साफ तौरसे 'देशव्रति' लिखा है—तो भी वास्तवमें उन्हें नामके ही श्रावक (नामतः श्रावकः) अथवा

* यह पद 'लाटीसंहिता'में भी पाया जाता है।

देशयति समक्षना चाहिये, जैसा कि ऊपर उद्घृत किये हुए पंचाध्यायीके पद्य नं० ७२६ से प्रकट है। असिल श्रावक तो वे ही हैं जो पंच अणुव्रतोंका पालन करते हैं। और इस सब कथनकी पुष्टि शिवकोटि-आचार्यके निम्न वाक्यसे भी होती है, जिसमें पंच-अणुव्रतोंके पालन-सहित मध्य, मांस, और मधुके त्यागको ‘अष्टमूलगुण’ लिखा है और साथही यह बतलाया है कि पंच उद्घरवाले जो अष्ट मूलगुण हैं वे अर्भकों—बालकों, मूर्खों, छोटों अथवा कमजोरों—के लिये हैं। और इससे उनका साफ़ तथा खास सम्बन्ध अव्रतियोंसे जान पड़ता है यथा:—

मध्यमांसमधुत्यागसंयुक्ताणुव्रतानि तुः ।

अष्टौ मूलगुणाः पंचोदुम्बरैश्चार्भकेष्वपि ॥ १९ ॥

—रत्नमाला

(४) ‘उपासकाचार’के कर्ता श्रीअभितगति आचार्य सोम-देवादि आचार्योंके उपर्युक्त मूलगुणोंमें कुछ वृद्धि करते हैं। अर्थात्, वे ‘रात्रिभोजन-त्याग’ नामके एक मूलगुणका, साथमें, और विधान करते हैं। यथा:—

मध्यमांसमधुरात्रिभोजन-क्षीरवृक्षफलवर्जनं त्रिधा ।

कुर्वते व्रतजिधृक्षया बुधास्तन्न पुष्यति निषेविते व्रतं ॥ ५-१ ॥

अभितगतिके इस कथनसे मूलगुण आठके स्थानमें नौ हो जाते हैं। और यदि ‘क्षीरवृक्षफलवर्जन’को, एक ही मूलगुण माना जाय तो मूलगुणोंकी संख्या फिर पाँच ही रह जाती है। शायद इसी खयालसे आचार्य महाराजने अपने ग्रंथमें मूलगुणोंकी कोई संख्या निर्दिष्ट नहीं की। सिर्फ़ अन्तमें इतना ही लिख दिया है कि ‘आदावेते स्फुटमिह गुणः

निर्मला धारणीयाः ।' अर्थात् सबसे पहले ये निर्मल गुण धारण करने चाहियें । इस 'रात्रिभोजन-त्याग' के विषयमें आचार्योंका बहुत कुछ मत-भेद है, जिसका कुछ दिग्दर्शन आगे के पृष्ठोंमें कराया जायगा और इस लिये यहाँपर उसको छोड़ा जाता है । यहाँ सिर्फ़ द्वृतना ही समझना चाहिये कि इन आचार्य महाशयका शासन इस विषयमें, दूसरे आचार्योंके शासनसे भिन्न है ।

(५) पं० आशाधरजीने, अपने 'सागरधर्मामृत' में, यद्यपि उन्हीं अष्ट मूलगुणोंका 'स्वमत' रूपसे उल्लेख किया है जिनका सोमदेव आचार्यने प्रतिपादन किया है, और साथ ही समन्तभद्र तथा जिनसेनाचार्योंके मतोंको 'परमत' रूपसे सूचित किया है, तो भी उनका इस विषयमें कोई निश्चित एकमत मालूम नहीं होता । उन्होंने प्रायः सभीको अपनाया और सभीपर अपना हाथ रखा है । वे उपर्युक्त (स्वमत-रूपसे प्रतिपादित) मूलगुणोंके नाम और उनकी संख्याका निर्देश करते हुए भी टीकामें लिखते हैं कि 'च' शब्दसे नवनीत, रात्रि-भोजन, अगालित जल आदिका भी लाग करना चाहिये और इससे उक्त 'अष्ट' की संख्यामें बाधा आती है, इसकी कुछ पर्वाह नहीं करते । परन्तु कुछ भी सही, पं० आशाधरजीने, अपने उक्त ग्रंथमें, किसी शास्त्रके आधारपर, जिसका नाम नहीं दिया, एक दूसरे प्रकारके मूलगुणोंका भी उल्लेख किया है जिन्हें मैं यहाँपर उद्धृत करता हूँः—

मद्यपलमधुनिशासनपञ्चफलीविरतिपञ्चकासनुती ।

जीवदयाजलगालनमिति च कच्चिददृष्टमूलगुणाः ॥ २-१८ ॥

मालूम नहीं मूल गुणोंका यह कथन कौनसे आचार्यके मतानुसार लिखा गया है और उनका अध्यवा उनके ग्रंथका नाम, समन्तभद्रादिके

नामके सदृश, क्यों सूचित नहीं किया गया। परंतु इसे छोड़िये, उपरके इस पद्धद्वारा जिन मूलगुणोंका उल्लेख किया गया है, उनमेंसे शुखके पाँच मूलगुण तो वही हैं जो ऊपर 'अभितगति' आचार्यके कथनमें दिखलाये गये हैं। हाँ, उनमें इतनी बात नोट किये जानेकी जरूर है कि यहाँपर पंच उदुम्भरफलोंके समुदायको स्पष्टरूपसे 'पंचफली' शब्द-द्वारा एक मूलगुण साना गया है और इसलिये इससे भेरे उस कथनकी कि इन पाँचों उदुम्भरफलोंमें परस्पर ऐसा कोई विशेष भेद नहीं है कि जिससे इनके त्यागको अलग अलग मूलगुण करार दिया जाय, बहुत कुछ पुष्टि होती है। बाकी रहे तीन गुण आसनुति, जीवदया और जलगालन, ये तीनों यहाँ विशेष रूपसे वर्णन किये गये हैं। इनमें आसनुतिसे अभिप्राय परमात्माकी स्तुति अथवा देववंदनाका है। परंतु 'जीवदया' शब्दसे कौनसा क्रियाविशेष अभिमत है यह कुछ समझमें नहीं आया; वैसे तो मूलगुणोंका यह सारा ही कथन प्रायः जीवदयाकी प्रधानताको लिये हुए है, मिर 'जीवदया' नामका अलग मूलगुण रखनेसे कौनसे आचरणविशेषका अहण किया जाय, यह बात अभी जानने योग्य है। संभव है कि इससे अहिंसाणुव्रतका, अभिप्राय हो। परंतु कुछ भी हो, इतना जरूर कहना चाहेगा कि यह मत दूसरे आचार्योंके मतोंसे विभिन्न है। पं० आशाधरजीने भी, इस मतका उल्लेख करते हुए, एक प्रतिज्ञावाक्य-द्वारा इस दूसरे आचार्योंके मतोंसे विभिन्न बतलाया है। वह वाक्य इस प्रकार है—

“अथ प्रतिपाद्यानुरोधाद्वर्माचार्याणां सूत्राविरोधेन देशनानानात्वोपलभास्त्रं ग्यन्तरेणाथमूलगुणानुद्देश्यमाह।”

इस वाक्यसे यह भी स्पष्ट है कि प्रतिपाद्योंके अनुरोधसे—अर्थात्, जिस समय जैसे जैसे शिष्यों अथवा उपदेशपात्रोंकी वहुलता होती है उस समय उनकी आवश्यकताओं और परिस्थितियोंको लक्ष्य करके—धर्मचार्योंका उपदेश—उनका शासन—मिन्न हुआ करता है। और, इस लिये, इससे मेरे उस कथनका बहुत कुछ समर्थन होता है जिसे मैंने इस लेखके शुरूमें प्रकट किया है। साथ ही, उक्त वाक्यसे यह भी धनित होता है कि धर्मचार्योंकी वह भिन्न देशना सूत्रोंसे—सिद्धान्तवाक्योंसे—अविस्तृद्ध होनी चाहिये। तभी वह ग्राह्य हो सकती है, अन्यथा नहीं। यह विलक्षुल सत्य है। मेरी रायमें मूलगुणोंका जो कुछ शासन-भेद ऊपर प्रकट किया गया है उसमें परस्पर सिद्धान्तभेद नहीं है—जैन सिद्धान्तोंसे कोई विरोध नहीं आता—और न इन भिन्न शासनोंमें जैनाचार्योंका परस्पर कोई उद्देश्यभेद ही पाया जाता है। सबोंका उद्देश्य क्रमशः सावधकमोंको लाग करानेका मालूम होता है। हाँ, दृष्टिभेद, अपेक्षाभेद, विषयभेद, संख्याभेद और प्रतिपाद्योंकी स्थिति आदिका भेद जल्द है जिसके कारण उक्त शासनोंको भिन्न जल्द मानना पड़ेगा। और इस लिये यह कभी नहीं कहा जा सकता कि महावीर भगवानने ही इन सब भिन्न शासनोंका विधान किया था—उनकी वाणीमें ही ये सब मत इसी रूपसे प्रकट हुए थे—ऐसा मानना और समझना नितान्त भूल होगा। वास्तवमें ये सब शासन पापरोगकी शांतिके नुसखे (Prescriptions) हैं—ओषधिकल्प हैं—जिन्हें आचार्योंने अपने अपने देशों तथा समयोंके शिष्योंकी प्रकृति और योग्यता आदिके अनुसार तय्यार किया है। और इस लिये सर्वदेशों, सर्वसमयों और सर्व प्रकारकी प्रकृतियोंके लिये अमुक एक ही नुसखा

उपयोगी होगा, ऐसा हठ करनेकी जखरत नहीं है। जिस समय और जिस प्रकारकी प्रकृति आदिके व्यक्तियोंके लिये जैसे ओषधिकल्पोंकी जखरत होती है, बुद्धिमान वैद्य, उस समय और उस प्रकारकी प्रकृति आदिके व्यक्तियोंके लिये वैसे ही ओषधिकल्पोंका प्रयोग किया करते हैं। अनेक नये नये ओषधिकल्प गढ़े जाते हैं, पुरानोंमें फेरफार किया जाता है और ऐसा करनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं होती, यदि वे सब रोगशांतिके विरुद्ध न हों। इसी तरह पर देशकालानुसार किये हुए आचार्योंके उपर्युक्त भिन्न शासनोंमें भी कोई आपत्तिः नहीं की जा सकती। क्यों कि वे सब जैनसिद्धान्तोंसे अविरुद्ध हैं। हाँ, आपेक्षिक दृष्टिसे उन्हें प्रशस्त अप्रशस्त, सुगम दुर्गम, अल्पफलसाधक बहुफल-साधक इत्यादिक जखर कहा जा सकता है, और इस प्रकारका भेद आचार्योंकी योग्यता और उनके तत्त्वालीन विचारोंपर निर्भर है। अस्तु; इसी सिद्धान्ताविरोधकी दृष्टिसे यदि आज कोई महात्मा, वर्तमान देश कालकी स्थितियोंको लक्ष्यमें रखकर, उपर्युक्त मूल गुणोंमें भी कुछ फेरफार करना चाहे और उदाहरणके तौरपर १ मांसविरति, २ मध्यविरति, ३ पंचेंद्रियधातविरति, ४ हस्तमैथुनविरति, ५ शास्त्राऽध्ययन ६ आस्तस्तवन, ७ आलोकितपानभोजन, और ८ स्ववचनपालन नामके अष्ट मूलगुण स्थापित करे तो वह खुशीसे ऐसा कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति किये जानेकी जखरत नहीं है; और न यह कहा जा सकता है कि उसका ऐसा विधान जैनेन्द्रदेवकी आज्ञाके विरुद्ध है अथवा महावीर भगवानके शासनसे बाहर है; क्योंकि उक्त प्रकारका विधान 'जैनसिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं है। और जो विधान जैनसिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं होता वह सब महावीर भगवानके अनुकूल है। उसे प्रकारन्तरसे जैनसिद्धान्तोंकी व्याख्या अथवा उनका व्याव-

हारिक रूप समझना चाहिये और इस दृष्टिसे उसे महावीर भगवानका शासन भी कह सकते हैं। परंतु भिन्न शासनोंकी हालतमें महावीर भगवानने यही कहा, ऐसा ही कहा, इसी क्रमसे कहा, इत्यादिक मानना मिथ्या होगा और उसे प्रायः मिव्यादर्शन समझना चाहिये। अतः उससे बचकर यथार्थ वस्तुस्थितिको जानने और उसपर ध्यान रखनेकी कोशिश करनी चाहिये। इसीमें श्रेय और इसीमें सर्वका कल्याण है।

यह तो ही दिग्म्बर जैनाचार्योंके शासन-भेदकी बात, अब श्वेताम्बराचार्योंके शासन-भेदको लीजिये। श्वेताम्बरग्रन्थोंके देखनेसे मालूम होता है कि उन्होंने इस प्रकारके मूलगुणोंका कोई विधान नहीं किया और इसलिये, इस विषयमें, उनका शासनभेद भी कुछ दिखलाया नहीं जा सकता। श्वेताम्बरग्रन्थोंमें मध्यमांसादिकके त्यागरूप उक्त मूलगुणोंका प्रायः सारा कथन ‘भोगोपभोगपरिमाण’ नामके दूसरे गुणवत्तमें पाया जाता है। जैसा कि श्रीहेमचंद्राचार्यप्रणीत ‘योगशास्त्र’ के निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

मद्यं मांसं नवनीतं मधूदुम्बरपञ्चकम् ।

अनंतकायभज्ञातफलं रात्रौ च भोजनं ॥ ३-६ ॥

आमगोरससंपृक्तं द्विदलं पुष्पितोदनं ।

दध्यहद्वितीयातीतं कुथितान्नं विवर्जयेत् ॥ ३-७ ॥

परंतु ‘श्रावकप्रज्ञसि’ नामके मूल ग्रन्थमें, जो उमास्ताति आचार्यका बनाया हुआ कहा जाता है, ऐसा कोई कथन नहीं है। अर्थात्, उसके कर्ता आचार्य महाराजने ‘भोगोपभोगपरिमाण’ नामके गुणवत्तमें उक्त मध्यमांसादिकके त्यागका कोई विधान नहीं किया। हाँ, टीकाकारने उक्त गुणवत्तवारी श्रावकके लिये निरवद्य (निर्दोष) आहा-

रका विधान जखर किया है। साथ ही, 'वृद्धसंप्रदाय' रूपसे कुछ प्राकृत गद्य भी उद्धृत किया है जिसमें उक्त ब्रतीके मध्य-मांसादिक और पंचोदुम्बरादिकके त्यागकी सूचना पाई जाती है। परंतु 'वृद्धसंप्रदाय'से अभिप्राय कौनसे संप्रदाय-विशेषसे है यह कुछ माल्हम नहीं हुआ। श्रावकधर्मके प्रतिपादन-विषयमें, श्रेताम्बरसम्प्रदायका सबसे प्राचीन ग्रंथ 'उपासगदसाओ' (उपासक-दशा) सूत्र है, जिसे 'उपासकाध्ययन' तथा द्वादशांगवाणीका 'सप्तम अंग' भी कहते हैं और जो महावीर भगवानके साक्षात् शिष्य 'सुधर्मास्वामी' गणधरका बनाया हुआ कहा जाता है। इस ग्रंथमें भी, उक्त गुणव्रतका कथन करते हुए, मध्य-मांसादिकके त्यागका स्पष्ट रूपसे कोई विधान नहीं किया गया। श्रावकधर्म-विषयक उनके इस सर्वप्रधान ग्रन्थमें, कथाओंको छोड़कर, श्रावकीय बारह ब्रतोंके प्रायः अतीचारोंका ही वर्णन पाया जाता है, ब्रतोंके स्वरूपादिकका और कुछ भी विशेष वर्णन नहीं है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिए कि इस ग्रंथमें श्रावकधर्मका पूरा विधिविधान नहीं है। इसीसे शायद 'श्रावकप्रज्ञति' के टीकाकार श्रीहरिभद्रसूरिने, श्रावकोंके लिये निरवद्य आहारादिकका विधान करते हुए, यह सूचित किया है कि 'सूत्रमें (उपासक-दशामें) देशविरतिके सम्बन्धमें नियमित रूपसे 'इदमेव इदमेव' ऐसा कोई कथन नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अतिचारोंका उल्लेख किया गया है। इस लिये देशविरतिकी विधि विचित्र है और उसे अपनी बुद्धिसे पूरा करना चाहिए।' हरिभद्रसूरिके वे वाक्य इस प्रकार हैं:—

“विचित्रत्वाच्च देशविरतेश्चित्रोऽत्रापवादः इत्यत एवेदमेवे-
दमेवेति वा सूत्रे न नियमितमातिचाराभिधानाच्च विचित्रस्तद्विधिः
स्वधियावसेय इति ।”

इन वाक्योंसे यह भी भले प्रकार स्पष्ट है कि श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें 'उपासकदशा' सूत्रसे बाहर श्रावकधर्मका जो कुछ भी विशेष कथन पाया जाता है वह सब पीछेसे आचार्योंद्वारा अपनी अपनी दुदिके अनुसार निर्धारित तथा पछिवित किया हुआ कथन है। और इस लिये उसे भी सिद्धान्तानिरोधकी दृष्टिसे ही प्रहण करना चाहिए और उसमें भी देश-कालानुसार यथोचित फेरफार किया जा सकता है। यहाँपर यह बात वड़ी ही विचित्र माझ्म होती है कि श्वेताम्बर आचार्योंने, मध्यमांसादिकके त्यागका यदि विधान किया भी है तो वह दूसरे गुणवत्तमें जाकर किया है। और इस लिये इससे पहली अवस्थाओंवाले श्रावकों—अहिंसादिक अणुव्रतोंके पालने वालों—अथवा व्यावहारिक दृष्टिसे जैनीमात्रके लिये उनके सेवनका कोई निषेध नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? क्यों श्रावकमात्र अथवा जैनगृहस्थमात्रके लिये मध्यमांसादिकके त्यागका नियम नहीं रखा गया? और उनके त्यागको मूलगुण नहीं बनाया गया? जब सकलविरतियोंके लिये मूलोत्तरगुणोंकी व्यवस्था है तब देशविरतियोंके लिये वह क्यों नहीं रखती गई? क्यों ऐसा कमसे कम आचरण निर्दिष्ट नहीं किया गया जिसका पालन करना सबके लिये—जैनीमात्रके लिये—जखरी हो और जिसके पालनके बिना कोई भी 'जैनी' अथवा 'महाक्षीरभगवानका उपासक' ही न कहला सकता हो? ये सब बातें ऐसी हैं जिनपर विचार किये जानेकी जखरत है। संभव है कि ऐसा करनेमें श्वेताम्बर आचार्योंका कुछ उद्देश्यभेद हो। बन्धनोंको ढीला रखकर, वौद्धोंके सदश समाज-दृष्टिका उनका आशय हो। परन्तु कुछ भी हो, इस विषयमें, निष्ठित रूपसे, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। अवसर मिलनेपर, इस सम्बन्धमें अपने विशेष विचार फिर किसी समय प्रकट किये जायेंगे।

अणुव्रत और रात्रिभोजनविरति

—→०:०:०←—

जौ

नधर्ममें, हिंसादिक पापोंकी देशतः निवृत्ति (स्थूलरूपसे त्याग) का नाम 'अणुव्रत' और उसकी प्रायः सर्वतः निवृत्तिका नाम 'महाव्रत' है। ब्रतोंकी ये अणु और महत् संज्ञाएँ परस्पर सापेक्षिक हैं। वास्तवमें, सर्वसावद्ययोगकी निवृत्तिको 'ब्रत' कहते हैं। वह निवृत्ति एकदेश होनेसे 'अणुव्रत' और सर्वदेश होनेसे 'महाव्रत' कहलाती है। गृहस्थ लोग समस्त सावद्ययोगका—हिंसाकर्मोंका—पूरी तौरसे त्याग नहीं कर सकते इस लिये उनके लिये आचार्योंने अणुरूपसे कुछ ब्रतोंका विधान किया है, जिनकी संख्या और विषय-संबंधमें कुछ आचार्योंके परस्पर मत-भेद है। उसी मत-भेदको स्थूलरूपसे दिखलानेका अब यत्न किया जाता है। साथ ही, रात्रिभोजनविरतिके सम्बन्धमें जो आचार्योंका शासनभेद है उसे भी कुछ दिखलानेकी चेष्टा की जायगी:—

स्वार्थासमन्तभद्राचार्यने रत्नकरंडश्रावकाचारमें, कुन्द्कुन्द्मुनिराजने चारित्रपाहुडमें, उमास्वातिमुनीन्द्रने तत्वार्थसूत्रमें, सोमदेवसूरिने यशस्तिलकमें, वसुनन्दीआचार्यने श्रावकाचारमें, अभितगतिमुनिने उपासकाचारमें और श्वेताम्बराचार्य हेमचंद्रने योगशास्त्रमें अणुब्रतोंकी संख्या पाँच दी है जिनके नाम प्रायः इस प्रकार हैं:—

१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अचौर्य, ४ ब्रह्मचर्य ५ परिग्रहपरिमाण । ये पाँचों ब्रत अपने प्रतिपक्षी स्थूल हिंसादिक पापोंसे विरतिरूप वर्णन किये गये हैं। यह दूसरी बात है कि किसी किसी ग्रंथमें इनका दूसरे पर्यायनामोंसे उल्लेख किया गया है, परंतु नामविषयक आशय सबका एक है, इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। श्वेताम्बरोंके 'उपासकदशा'

सूत्रमें भी इन्हींका उल्लेख है और उनका 'श्रावकप्रज्ञति' नामका ग्रंथ भी इन्हींका विधान करता है। इन व्रतोंकी संख्याके विषयमें श्रीकुन्द-
कुन्दाचार्य लिखते हैं कि 'पञ्चेवणुव्याहं' (पञ्चेव अणुव्रतानि) —अर्थात्, अणुव्रत पाँच ही हैं। वसुनन्दी आचार्य भी अपने श्राव-
काचारमें यही वाक्य देते हैं। सोमदेवने इसका संस्कृतानुवाद दिया है
और श्रावकप्रज्ञतिमें भी यही (पञ्चेवणुव्याहं) वाक्य ज्योंका तर्में
पाया जाता है। श्रावकप्रज्ञतिके ठीकाकार श्रीहरिभद्रसूरि इस वाक्यपर
लिखते हैं—

"पञ्चेति संख्या । एवकारोऽवधारणे । पञ्चैव न चत्वारि पद्मा ।"

अर्थात्—पाँचकी संख्याके साथ 'एव' शब्द अवधारण अर्थमें है
जिसका आशय यह है कि अणुव्रत पाँच ही हैं, चार अथवा छह नहीं हैं।

इस तरहपर बहुतसे आचार्योंने अणुव्रतोंकी संख्या सिर्फ पाँच दी
है और उक्त पाँचोंही व्रतोंको अणुव्रत रूपसे वर्णन किया है। परंतु
समाजमें कुछ ऐसे आचार्य तथा विद्वान् भी हो गये हैं जिन्होंने उक्त
पाँच व्रतोंको ही अणुव्रत रूपसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि 'रात्रिमो-
जनविरति' नामके एक छठे अणुव्रतका भी विधान किया है। जैसा
कि नीचे कुछ प्रमाणोंसे प्रकट है—

क—“अस्य (अणुव्रतस्य) पञ्चधात्वं बहुमतादिष्यते

कथि तु रात्र्यभोजनमपि अणुव्रतमुच्यते । तथा भवति ॥”

—सागारधर्मामृतटीका ।

इन वाक्योंद्वारा पं० अशाधरजीने, जो १३ वीं शताब्दीके विद्वान्
हैं, यह सूचित किया है कि अणुव्रतोंकी यह पञ्च संख्या बहुमतकी
अपेक्षासे है। कुछ आचार्योंके मतसे 'रात्रिमोजनविरति' भी एक अणु-
व्रत है, सो वह अणुव्रत ठीक ही है।

ख—व्रतत्राणाय कर्तव्यं रात्रिभोजनवर्जनम् ।

सर्वथान्नान्निवृत्तेस्तत्प्रोक्तं पष्टमणुव्रतम् ॥ ५-७० ॥

—आचारसारः ।

यह वाक्य श्रीवीरनन्दी आचार्यका है, जो आजसे आठसौ वर्ष पहले, विक्रमकी १२ वीं शताब्दीमें, हो गये हैं। इसमें कहा गया है कि ‘(मुनिको) अहिंसादिक व्रतोंकी रक्षाके लिये सर्वथा रात्रिभोजनका त्याग करना चाहिये और अनकी निवृत्तिसे वह रात्रिभोजनका त्याग छठा अणुव्रत कहा जाता है, अथवा कहा गया है।’

ग—“रात्रावन्नपानखाद्यलेहेभ्यश्चतुर्भ्यः सत्वानुकंपया विरमणं
रात्रिभोजनविरमणं पष्टमणुव्रतम् ।”

“ वधादसत्याचौर्याच्चकामाद्यंथान्निवर्त्तनम् ।
पंचधाणुव्रतं रात्र्यशुक्तिः पष्टमणुव्रतम् ॥ ”

—चारित्रसारः ।

ये वचन श्रीनेमिचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके शिष्य चामुण्डरायके हैं, जो आजसे लगभग एक हजार वर्ष पहले, विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके शुरुमें, हो गये हैं। इन वचनोंद्वारा स्पष्टरूपसे यह बतलाया गया है कि रात्रिभोजनत्यागको छठा अणुव्रतं कहते हैं और यह उन पंच प्रकारके अणुव्रतोंसे भिन्न है जो हिंसाविरति आदि नामोंसे कहे गये हैं। यहाँपर इतना विशेष और है कि वीरनन्दी आचार्यने तो अनसे निवृत्त होनेको छठा अणुव्रत बतलाया है परंतु चामुण्डराय अन, पान, खाद्य और लेहा, ऐसे चारों प्रकारके आहारके त्यागको छठा अणुव्रत प्रतिपादन करते हैं। दोनों विद्वानोंके कथनोंमें यह परस्पर भेद क्यों? इसमें जबर कोई गुप्त रहस्य जान पड़ता है। जब महाव्रती मुनियोंको भी रात्रि-

भोजनके त्यागका ब्रतोंसे पृथकरूप उपदेश दिया गया है और उनसे भोजनका सर्वथा त्याग—चारों प्रकारके आहारका त्याग—कराया गया है तब अणुव्रती गृहस्थोंको—खासकर ब्रतप्रतिमाधारी श्रावकोंको—इस विषयमें उनके विलकुल समकक्ष रखना—उनसे भी बराबरका त्याग कराना—कहाँ तक न्याय्य है, और इससे अणुव्रत और महाव्रतके त्यागमें परस्पर कुछ विशेषता रहती है या कि नहीं, यह बात दृढ़यमें जल्द खटकती है।

प्रायः ऐसा माल्यम होता है कि जिन विद्वानोंने श्रावककी छठी प्रतिमाको दिवामैथुनत्यागरूपसे वर्णन किया है—रात्रिभोजनत्यागरूपसे नहीं—उन्होंने दूसरी ब्रतप्रतिमामें या उससे भी पहले रात्रिभोजनका सर्वथा त्याग करा दिया है। और जिन्होंने छठी प्रतिमाको रात्रिभोजन-त्यागरूपसे प्रतिपादन किया है उन विद्वानोंने या तो रात्रिभोजन-त्यागका उससे पहले अपने ग्रंथमें उपदेश ही नहीं दिया और या उसका कुछ मोटे रूपसे त्याग कराया है। यहाँपर दोनोंके कुछ उदाहरण पाठकोंके सामने रखें जाते हैं जिससे रात्रिभोजनत्याग-विषयमें आचार्योंका मत-भेद और भी स्पष्टताके साथ उन्हें व्यक्त हो जायः—

१ वसुनन्दी आचार्यने, अपने श्रावकाचारमें, छठी प्रतिमा ‘दिवामैथुनत्याग’ (दिनमें मैथुन नहीं करना) करार दी है और रात्रिभोजनका त्याग आप पहली प्रतिमावालेके वास्ते आवश्यक ठहराते हैं। आपने लिखा है कि ‘रात्रिभोजनका करनेवाला ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे पहली प्रतिमाका धारक भी नहीं हो सकता।’ यथा:—

- १ एथादसेसु पढगं वि जदो णिसिभोयणं कुण्ठतस्स ।
- २ ठाणं णं ठाइ तम्हा णिसिभुत्तं परिहरे णियमा ॥ ३१४ ॥

२ अमितगति आचार्यने भी, अपने उपासकाचारमें, छठी प्रतिमाको ‘दिवामैथुनत्याग’ वर्णन किया है और वे रात्रिभोजनत्यागका विधान ब्रतोंके उपदेशसे भी पहले करते हैं, जिससे माल्हम होता है कि वे पाक्षिक तथा दर्शनिक श्रावकके लिये उसका नियम करते हैं; जैसा कि पहले अष्टमूलगुण-संवंधी लेखमें प्रकट किया गया है।

३ पं० वामदेव भी, अपने ‘भावसंग्रह’ में, दर्शनिक श्रावक अर्थात् पहली प्रतिमाधारकके लिये रात्रिभोजनका त्याग आवश्यक बतलाते हैं यथा:—

दर्शनिकः प्रकुर्वीत रात्रिभोजनवर्जनम् ।

४ पं० आशाधरजीका भी मत छठी प्रतिमाके विषयमें ‘दिवा-मैथुनत्याग’ का है। उन्होंने अपने सागरधर्मामृतमें रात्रिभोजनके त्यागका विधान पाक्षिक श्रावकसे प्रारंभ किया है और उसे क्रमसे बढ़ाया है। पाक्षिक श्रावकसे सामान्यतया भोजनका—अन्नका—त्याग कराकर दर्शनिक श्रावकके त्यागमें कुछ विशेषता की है—उसके लिये दिनके प्रथम मुहूर्त और अन्तिम मुहूर्तमें भी भोजनका निषेध किया है, और साथ ही, रोगनिवृत्ति तथा स्वास्थ्यरक्षाके लिये रात्रिको जल-फल-घृत-दुग्धादिकका सेवन भी दूषित ठहराया है—और अन्तमें फिर व्रतिक श्रावकसे चारों प्रकारके भोजनका सदाके लिये त्याग कराकर इस रात्रिभोजनके कथनको पूरा किया है।

५ श्रीचामुँदराय भी इसी प्रकारके विद्वानोंमें हुए हैं। उन्होंने भी चारित्रसारमें छठी प्रतिमा ‘दिवामैथुनत्याग’ स्थापित की है। और इसलिये वे दूसरी प्रतिमामें ही पूरी तौरसे रात्रिभोजनके त्यागका विधान करते हैं। उन्हें वे विधिवाक्य ऊपर उच्चृत किये जा चुके हैं।

ये तो हुए प्रथम प्रकारके विद्वानोंके उदाहरण, अब दूसरे प्रकारके विद्वानोंके भी कुछ उदाहरण, लीजिये:—

६ स्वामीसमन्तभद्राचार्यने, रत्नकरंडकमें ‘रात्रिभोजनविरति’ को छठी प्रतिमा बतलाया है, और उससे पहले ग्रंथभरमें कहीं भी रात्रिभोजनके त्यागका विधान नहीं किया है। वे चारों प्रकारके आहारका इसी प्रतिमामें त्याग कराते हैं। यथा:—

अन्नं पानं खाद्यं लेद्यं नाशाति यो विभावर्योम् ।
स च रात्रिभुक्तिविरतः सत्वेष्वतुकम्पमानमनाः ॥

७ ब्रह्मनेमिदत्तने भी अपने ‘धर्मोपदेशपीयूषवर्प’ नामके श्रावकाचारमें, समन्तभद्रके सदृश ‘रात्रिभोजनविरति’ को ही छठी प्रतिमा करार दिया है और उसी तरहपर चारों प्रकारके आहारका उसमें त्याग कराया है। यथा:—

अन्नं पानं तथा खाद्यं लेद्यं रात्रौ हि सर्वदा ।
नैव शुक्ते पवित्रात्मा स पष्टः श्रावको मतः ॥

परंतु नेमिदत्तने इससे पहले भी अपने ग्रंथमें रात्रिभोजनका कुछ त्याग कराया है। लिखा है कि ‘रात्रिमें यदि सामान्यतया जल, ताम्बूल और औषधका ग्रहण करते हों तो करो परन्तु फलादिकको ग्रहण न करना चाहिये’ और इसके समर्थनमें एक प्राकृत वाक्य भी दिया है। यथा:—

“ सामान्यतो निशायां च जलं ताम्बूलमौषधं ।
गृह्णन्ति चैव गृह्णन्तु नैव ग्राह्यं फलादिकं ॥
यदुक्तं । तम्बूलो सहु जलभुइवि, जो अंथविए सूरि ।
भोग्गासणि फल अहिलसह, ते किउ दंसणु दूरि ॥”

कविराजमल्ल भी इसी प्रकारके विद्वानोंमें हुए हैं। उन्होंने 'लाटी-संहिता' नामक अपने श्रावकाचारमें 'रात्रिभोजनविरति' को छठी प्रतिमा करार देकर, यद्यपि रात्रिभोजनका सर्वांगत्याग उसीमें कराया है परन्तु पहली प्रतिमामें भी उसके एकदेश त्यागका विधान किया है—जिसे आप 'दिग्मात्र' त्याग बतलाते हैं—और लिखा है कि 'पहली प्रतिमामें रात्रिको अन्नमात्रादि स्थूल भोजनका निषेध है किन्तु जलादिकके पीने और ताम्बूलादिकके खानेका निषेध नहीं है। इनका तथा औषधादिकके लेनेका सर्वथा निषेध छठी प्रतिमामें होता है।' यथा:—

ननु रात्रिभुक्तित्यागो नात्रोदेश्यस्त्वया कच्चित् ।
 पष्ठसंश्लिकविख्यातप्रतिमायामास्ते यतः ॥ ४१ ॥
 सत्यं सर्वात्मना तत्र निशाभोजनवर्जनं ।
 हेतोः किञ्चत्र दिग्मात्रं सिद्धं स्वानुभवागमात् ॥ ४२ ॥
 अस्ति कथिद्विशेषोऽत्र स्वल्पाभासोऽर्थतो महान् ।
 सातिचारोऽत्र दिग्मात्रे तत्रातीचारवर्जितः ॥ ४३ ॥
 निषिद्धमन्नमात्रादिस्थूलभोज्यं व्रते दृशः ।
 न निषिद्धं जलाद्यत्र ताम्बूलाद्यपि वा निशि ॥ ४४ ॥
 तत्र ताम्बूलतोयादि निषिद्धं यावदंजसा ।
 प्राणान्तेष्वि न भोक्तव्यमौषधादि मनीषिणा ॥ ४५ ॥
 —द्वितीयः सर्गः ।

वीरनन्दी आचार्यका श्रावकाचार-विपयक कोई ग्रंथ मुझे उपलब्ध नहीं हुआ। परन्तु चूँकि आपने, रात्रिभोजनके त्यागमें, सिर्फ अन्नकी निवृत्तिसे ही छठे अणुव्रतका होना सूचित किया है इसलिये आप इस द्वितीयवर्गके ही विद्वान् माल्हम होते हैं और संभवतः यही वजह है कि

आपके और चामुंडरायके छठे अणुव्रतके स्वरूपकथनमें परस्पर भेद पाया जाता है। यदि ऐसा नहीं है—अर्थात्, वीरनन्दी प्रथम वर्गके विद्वानोंमें शामिल हैं—तो कहना होगा कि आपके उपर्युक्तिवित पदमें ‘अन्नात्’ पद उपलक्षण है और इसलिये उसकी निवृत्तिसे छठे अणुव्रतमें रात्रिके समय अन्न, पान खाद्यादिक सभी प्रकारके आहारका त्याग कराया गया है। ऐसी हालतमें फिर महाव्रत और अणुव्रतके त्यागमें कोई विशेषता नहीं रहेगी। परंतु विशेषता रहो अथवा मत रहो, और वीरनन्दी प्रथम वर्गके विद्वान् हों अथवा दूसरे वर्गके, पर इसमें सन्देह नहीं कि उपरके इन सब अवतरणोंसे रात्रिभोजन-विषयक आचार्योंका शासनभेद बहुत कुछ व्यक्त हो जाता है और साथ ही छठी प्रतिमाका नाम और स्वरूपसंबन्धी कुछ मतभेद भी ‘पाठकोंके सामने आ जाता है। अस्तु ।

अब मैं फिर अपने उसी छठे अणुव्रतपर आता हूँ, और देखता हूँ कि उसका कथन कितना पुराना है—

ध—विक्रमकी १० वीं शताब्दीके विद्वान् श्रीदेवसेन आचार्य, अपने ‘दर्शनसार’ नामक ग्रंथमें, कुमारसेन नामके एक मुनिके द्वारा विक्रमराजाकी मृत्युसे ७५३ वर्षबाद काष्ठासंघकी उत्पत्तिका वर्णन करते हुए, लिखते हैं कि कुमारसेनने छठे अणुव्रतका (छट्ठं च अणुव्रद्दणाम) विधान किया है। इससे माल्कम होता है कि रात्रिभोजनत्याग-नामका छठा अणुव्रत आजसे बारहसौ वर्षसे भी अधिक समय पहले माना जाता था। परंतु इस कथनसे किसीको यह नहीं समझ लेना चाहिये कि कुमारसेन नामके आचार्यने ही इस अणुव्रतकी ईजाद की है—उन्होंने ही सबसे पहले इसका उपदेश दिया है। ऐसा नहीं है।

उनसे पहले भी कुछ आचार्योंद्वारा यह अणुव्रत माना जाता था; जैसा कि, इस लेखमें, इसके बाद ही दिखलाया जायगा और इसलिये कुमार-सेनके द्वारा इस व्रतके विधानका सिर्फ़ इतना ही आशय लेना चाहिये कि उन्होंने इसे अपने सिद्धान्तोंमें स्वीकार किया था।

डॉ—श्रीपूज्यपाद स्वामीने, अपने ‘सर्वार्थसिद्धि’ नामक ग्रंथके सातवें अध्यायमें, प्रथम सूत्रकी व्याख्या करते हुए, ‘रात्रिभोजन-विरमण’ नामके छठे अणुव्रतका उल्लेख इस प्रकारसे किया है:—

“ननु च पष्टमणुव्रतमस्ति रात्रिभोजनविरमणं तदिहोपसंख्यातव्यं। न भावनास्वन्तर्भावात्। अहिंसाव्रतभावना हि वक्ष्यते। तत्र आलोकितपानभोजनभावना कार्येति।”

इससे मालूम होता है कि श्रीपूज्यपादके समयमें, जिनका अस्तित्व-काल विक्रमकी छठी शताब्दीका प्रायः पूर्वार्ध* माना जाता है, रात्रिभोजनविरमण नामका छठा अणुव्रत प्रचलित था।

परन्तु चूँकि उमास्वाति आचार्यने तत्त्वार्थसूत्रमें इस छठे अणुव्रतका विधान नहीं किया इसलिये, आचार्य पूज्यपादने अपने ग्रंथमें इसका एक विकल्प उठाकर—अर्थात्, यह प्रश्न खड़ा करके कि ‘जब रात्रिभोजनविरमण नामका छठा अणुव्रत भी है तब यहाँ व्रतोंके प्रतिपादक इस सूत्रमें उसका भी सम्मेलन और परिणाम

* देवसेनाचार्यने ‘दर्शनसार’ ग्रंथमें लिखा है कि श्रीपूज्यपादके शिष्य वज्रनन्दीके द्वारा वि० सं० ५२६ में द्राविदसंघकी उत्पत्ति हुई है। पूज्यपाद-स्वामी गंगराजा ‘दुर्विनीत’ के समयमें हुए हैं। दुर्विनीत राजा उनका शिष्य था, जिसका राज्यकाल १० सन् ४८३ से ५२२ तक कहा जाता है। इससे पूज्यपादका उक्त समय प्रायः ठीक मालूम होता है।

होना चाहिये था' उत्तरमें बतलाया है कि 'इस व्रतका अहिंसान्तर्की आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अन्तर्भूवि है' इसलिये यहाँ पृथक रूपसे कहने और गिननेकी जल्दत नहीं हुई। और इस तरहपर उक्त प्रश्नके उत्तरकी भरपाई करके सूत्रकी अनुपपत्ति अथवा त्रुटिका परिहार किया है। यद्यपि इस कथनसे आचार्यमहोदयका छठे अणुव्रतके विषयमें कोई विरुद्ध मत मालूम नहीं होता—वल्कि कथन-शैलीसे उनकी इस विषयमें प्रायः अनुकूलता ही पाई जाती है—तो भी प्रायः मूल ग्रंथके अनुरोधादिसे उस समय उन्होंने उक्त प्रकारका उत्तर देना ही उचित समझा ऐसा जान पड़ता है। अकलंकदेवने भी, अपने राज-वार्तिकमें पूज्यपादके वाक्योंका प्रायः अनुसरण और उद्धरण करते हुए, रात्रिभोजनविरतिको छठा अणुव्रत प्रकट किया है (तदपि पष्टमणुव्रतं) और उसके विषयमें वे ही विकल्प उठाकर उसे आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अन्तर्भूत किया है *। साय ही, आलोकितपानभोजनमें प्रदीपादिके विकल्पोंको उठाकर और नानारंभदोषादिकके द्वारा उनका समाधान करके कुछ विशेष कथन भी किया है। परन्तु वस्तुतः रात्रिभोजनविरति नामके छठे अणुव्रतका आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अन्तर्भूत होता है या नहीं, यह बात अभी विचारणीय है। और इसके लिये सबसे पहले हमें अहिंसाणुव्रतका स्वरूप देखना चाहिये। अर्थात्, यह मालूम करना चाहिये कि अहिंसाणुव्रतके धारकके वास्ते कितनी और किसप्रकारकी हिंसाके त्यागका विधान किया गया है। यदि अहिंसा अणुव्रतके स्वरूपमें—अहिंसा महाव्रतके स्वरूपमें नहीं—रात्रिभोजनका त्याग नियमसे

* यथा:—स्यान्मतमिह रात्रिभोजनविरत्युपसंख्यानं कर्तव्यं तदपि पष्टमणुव्रतमिति । तन्न । किं कारणं भावनान्तर्भूवात् ।
—राजवार्तिकम् ।

आजाता है तब तो उसकी भावनामें भी उसका समावेश हो सकता है और यदि मूल अहिंसा अणुव्रतके स्वरूपमें ही रात्रिभोजनका त्याग नहीं बनता—लाज्जमी नहीं आता—तब फिर उसकी भावनामें ही उसका समावेश कैसे हो सकता है। क्योंकि भावनाएँ ब्रतोंकी स्थिरताके लिये कही गई हैं। जो बात मूलमें ही नहीं उसकी फिर स्थिरता ही क्या की जा सकती है? अतः सबसे पहले हमें अहिंसाणुव्रतके स्वरूपको सामने रखना चाहिये और तब उसपरसे विचार करना चाहिये कि उसकी आलोकितपानभोजन (देखकर खानापीना) नामकी भावनामें रात्रिभोजनविरतिका अन्तर्भूत होता है या नहीं। अहिंसाणुव्रतका स्वरूप स्वामीसमंतभद्राचार्यने इसप्रकार बतलाया है—

संकल्पात्कृतकारितमननादोगत्रयस्य चरसत्वान् ।

न हिनस्ति यच्चदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निषुणाः ॥

इस स्वरूपमें अणुव्रतीके लिये स्थूलरूपसे त्रसजीवोंकी सिर्फ संकल्पी हिंसाके त्यागका विधान किया गया है। आरंभी* और विरोधी हिंसाका वह प्रायः त्यागी नहीं होता। श्रीहेमचंद्राचार्य भी अपने योगशास्त्रमें ‘निरागस्त्रसजंतूनां हिंसां संकल्पतस्त्यजेत्’ इस वाक्यके द्वारा संकल्पसे निरपराधी त्रस जीवोंकी हिंसाके त्यागका विधान करते हैं। रात्रिभोजनमें दिनकी अपेक्षा हिंसाकी अधिक संभावना जरूर है परन्तु वह उक्त संकल्पी हिंसा नहीं होती। जिसके त्यागका ब्रती श्रावकके लिये, नियम किया गया है और

* गृहवाससेवनरतो मंदकषायप्रवर्तितारंभः ।

आरंभजां स हिंसां शक्नोति न रक्षितुं नियतम् ॥ ६—७ ॥

—उपासकाचारे, अमितगतिः ।

इसलिये अहिंसाणुव्रतकी प्रतिज्ञामें रात्रिभोजनका त्याग नहीं आता। उसके लिये जुदा ही नियमादिक करनेकी ज़रूरत होती है। इसी लिये गृहस्थोंको रात्रिभोजनके त्यागका पृथक् उपदेश दिया गया है। कुछ आचार्योंने अहिंसाणुव्रतके बाद, कुछने पाँचों अणुव्रतोंके बाद, कुछने भोगोपभोगपरिमाण नामके गुणव्रतमें और कुछने अणुव्रतोंके कथनसे भी पहले इसका वर्णन किया है। और अनेक आचार्योंने स्पष्ट तौरपर इसे उठा अणुव्रत ही करार दिया है जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है। अतः यह एक पृथक् व्रत जान पड़ता है और उक्त आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें इसका अन्तर्भुव नहीं होता। हाँ, महावतियोंके त्यागकी दृष्टिसे, जिसमें सब प्रकारकी हिंसाको छोड़ा जाता है और गोचरीके भी कुछ विशेष नियम हैं, आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें रात्रिभोजनके त्यागका समावेश ज़रूर हो सकता है। और संभवतः इसीपर उक्त रखते हुए श्रीपूज्यपाद और अकलंकदेवने अपने अपने ग्रंथोंमें उक्त प्रकारके उत्तरका विधान किया जान पड़ता है। ऐसा मालूम होता है कि विकल्पको उठाकर उसका उत्तर देते समय उनकी दृष्टि अहिंसाणुव्रतके स्वरूपपर नहीं पहुँची—उनके सामने उस समय अहिंसा महाव्रतके स्वरूपका नकशा और मुनियोंके चरित्रका चित्र ही रहा है, और इस लिये, उन्होंने उसीके ध्यानमें रात्रिभोजनविरमण नामके छठे अणुव्रतको अहिंसाव्रतकी आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अन्तर्भूत कर दिया है। मेरा यह खयाल और भी ढढ होता है जब मैं राजवार्तिकमें उन विशेष विकल्पोंके उत्तर-प्रत्युत्तरोंको देखता हूँ जो आलोकितपानभोजनके सम्बन्धमें उठाए गये हैं; वे सब मुनियोंसे ही सम्बन्ध रखते हैं। जैसे कि, दीपादिकके प्रकाशमें देखभालकर रात्रिको भोजनपानकरनेमें जो आरंभ दोप होता है उसे यदि परकृतप्रदीपादि हेतुसे हटाया भी जाय तो भी भोजनके

वास्ते मुनियोंका रात्रिको विहारादिक नहीं बन सकता; क्योंकि आचार-शास्त्रका ऐसा उपदेश है:—

“ ज्ञानाऽऽदित्यस्वेदियप्रकाशपरीक्षितमार्गेण युगमात्रं पूर्वा-
पेक्षी देशकाले पर्यव्य यतिः भिक्षां शुद्धामुपादीयते इत्याचारो-
पदेशः । ”

आचारशास्त्रकी यह विधि रात्रिको नहीं बन सकती—इसके लिये आदित्य (सूर्य) के प्रकाशकी खास जरूरत है । अतः परकृतप्रदीपादिके कारण आरंभदोष न होते हुए भी, विहारादिक न बन सकनेसे, मुनियोंके रात्रिको भोजन नहीं बनता । इसी तरहपर आगे और भी, दिनको भोजन लाकर उसे रात्रिको खाने आदिके विकल्प उठाए गये हैं और उनका फिर मुनियोंके सम्बन्धमें ही परिहार किया गया है, जिन सबसे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि मुनिधर्मको लक्ष्य करके ही रात्रिभोजनविरमणका आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अन्तर्भाव किया गया है; श्रावकधर्म अथवा उक्त छठे अणु-ब्रतको लक्ष्य करके नहीं । वास्तवमें अहिंसादिक ब्रतोंकी पाँच पाँच भावनाएँ भी प्रायः मुनियोंको—महाब्रतियोंको—लक्ष्य करके ही कही गई हैं; जैसा कि शास्त्रोंमें दिये हुए ईर्यासमिति, भैक्ष्यशुद्धि, शून्या-गारावास आदि उनके नामों तथा स्वरूपसे प्रकट हैं और जिनके विषयमें यहाँ विशेष लिखनेकी जरूरत नहीं है । महाब्रतोंकी अस्थिरतामें मुनियोंके एक भी उत्तरणुण नहीं बन सकता, अतः ब्रतोंकी स्थिरता संपादन करनेके लिये ही मुनियोंके वास्ते इन सब भावनाओंका खास तौरसे विधान किया गया है, जैसा कि ‘क्लोकवार्तिक’ में श्रीविद्यानन्द आचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

तत्स्थैर्यर्थं विधातव्या भावना पंच पंच तु ।
तदस्थैर्ये यतीनां हि संभाव्यो नोत्तरो गुणः ॥

अणुव्रती श्रावकके लिये इन भावनाओंमेंसे आलोकितपानभोजन नामकी भावनाका प्रायः इतना ही आशय हो सकता है कि, मोटे रूपसे अच्छी तरह देख भालकर भोजनपान किया जाय—वैसे ही विना देखे भाले अन्वेरे आदिमें अनापशनाप भोजन न किया जाय । इससे अधिक, रात्रिभोजनके त्यागका अर्थ उत्तरे नहीं लिया जा सकता । उसके लिये जुदा प्रतिज्ञा करनी होती है । यह भावना है, इसे व्रत अथवा प्रतिज्ञा नहीं कह सकते । व्रत कहते हैं ‘अभिसंधिष्ठत नियम’ को—अर्थात्, यह काम मुझे करना है अथवा यह काम मैं नहीं करूँगा, इस प्रकारके नियमविशेषको; और भावना नाम है ‘पुनः पुनः संचिन्तन और समीहन’ का । आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें इस प्रकारका चिन्तन और समीहन किया जाता है कि ‘मेरे अहिंसा-व्रतकी शुद्धिके लिये देख भालकर भोजन हुआ करे ।’ इससे पाठक समझ सकते हैं कि यह चिन्तन और समीहन कहाँ तक उस रात्रि-भोजनविरति नामके व्रत अथवा अणुव्रतकी कोटिमें आता है, जिसमें इस प्रकारका नियम किया जाता है कि मैं रात्रिको अमुक अमुक प्रकारके आहारका सेवन नहीं करूँगा । अस्तु; यहाँ मैं अपने पाठकों-पर इतना और प्रकट किये देता हूँ कि श्रीविद्यानन्द आचार्यने, अपने ‘लोकवार्तिक’ के इसी प्रकारणमें, छठे अणुव्रतका उल्लेख नहीं किया है; वल्कि रात्रिभोजनविरतिको अहिंसादिक पाँचों व्रतोंके अनन्तर ही अस्तित्व रखनेवाला एक पृथक व्रत सूचित करते हुए उसे उक्त प्रकारके प्रश्नों तथा विकल्पोंके साथ, आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अंतर्भूत किया है । जैसा कि उनके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

“ननु पंचसु व्रतेष्वनन्तर्भावादिह रात्रिभोजनविरत्युपसंख्या-मिति चेन्न, भावनान्तर्भावात् । तत्रानिर्देशादयुक्तोऽन्तर्भाव इति चेन्न, आलोकितपानभोजनस्य वचनात् ।”

इससे मालूम होता है कि विद्यानन्द आचार्यकी दृष्टि श्रीपूज्यपाद और अकलंकदेवकी उस सदोप उक्ति पर पहुँची है, जिसके द्वारा उन्होंने उक्त छठे अणुव्रतको आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अंतर्भूत किया था; और इस लिये उन्होंने उसका उपर्युक्त प्रकारसे संशोधन करके कथनके पूर्वापर संबंधको एक प्रकारसे ठीक किया है। वास्तवमें वार्तिककारोंका काम भी प्रायः यही होता है। वे, अपनी समझ और शक्तिके अनुसार, उक्त, अनुक्त, और दुरुक्त तीनों प्रकारके अर्थोंकी चिन्ता, विचारणा और अभिव्यक्ति किया करते हैं। उक्तार्थोंमें जो उपयोगी और ठीक होते हैं उनका संग्रह करते हैं, शेषको छोड़ते हैं; अनुक्तार्थोंको अपनी ओरसे मिलाते हैं और दुरुक्तार्थोंका संशोधन करते हैं—जैसा कि श्रीहेमचंद्राचार्य-प्रतिपादित ‘वार्तिक’ के निम्न लक्षणसे प्रकट है:—

“उक्ताखुक्तदुरुक्तार्थचिन्ताकारि तु वार्तिकम् ।”

अकलंकदेव भी वार्तिककार हुए हैं। उन्होंने भी अपने राजवार्तिकमें ऐसा किया है। परन्तु उनकी दृष्टि पूज्यपादकी उक्त सदोष उक्ति पर नहीं पहुँची, ऐसा मालूम होता है। अथवा कुछ पहुँची भी है, यदि उनके ‘तदपि पष्टमणुव्रतं’ इस वाक्यका ‘वह (रात्रिभोजनविरति) भी छठा अणुव्रत है’ ऐसा अर्थ न करके ‘वह छठा अणुव्रत भी है’ यह अर्थ किया जाय। ऐसी हालतमें कहा जायगा कि उन्होंने पूज्य-पादकी उस दुरुक्तिका सिर्फ आंशिक संशोधन किया है। क्योंकि छठे

अणुव्रतका उल्लेख करके उन्होंने फिर आलोकितपानभोजन नामकी, भावनामें उसकी उसी तरह सिद्धि नहीं की जिस तरह कि महान्नतियोंकी दृष्टिसे रात्रिभोजनविरति नामके व्रतकी की है। और महान्नतियोंकी दृष्टिसे जो आरंभदोपादिक हेतु प्रयुक्त किये गये हैं उनकी अणुव्रती गृहस्थोंके सम्बन्धमें अनुपपत्ति है—वे उनके नहीं बनते—इसलिये उनसे उक्त विषयकी कोई सिद्धि नहीं होती। मेरी रायमें श्रावकोंके छठे अणुव्रतकी, आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें कोई सिद्धि नहीं बनती; जैसा कि ऊपर कुछ विशेष रूपसे दिखलाया गया है।

इस संपूर्णकथनसे यह बात भले प्रकार समझमें आसकती है कि ‘रात्रिभोजनविरति’ नामका व्रत एक स्वतंत्र व्रत है। उसके धारण और पालनका उपदेश मुनि और श्रावक दोनोंको दिया जाता है—दोनोंसे उसका नियम कराया जाता है—वह अणुव्रतरूप भी है और महाव्रतरूप भी। महाव्रतोंमें भले ही उसकी गणना न हो—वह छठे अणुव्रतके सदृशा छठा महाव्रत न माना जाता हो—और चाहे मुनियोंके मूलगुणोंमें भी उसका नाम न हो परंतु इसमें संदेह नहीं कि उसका अस्तित्व पंचमहाव्रतोंके अनन्तर ही माना जाता है और उनके साथ ही मूलगुणके तौरपर उसके अनुष्ठानका पृथक् रूपसे विधान किया जाता है, जैसा कि इस लेखके शुरूमें उम्मूलूत किये हुए ‘आचासारके’ वाक्य और ‘मूलाचार’के निम्नवाक्यसे भी प्रकट हैः—

“तेसि चेव वदाणं रक्खद्धं रादिभोयणविरती ।”

ऐसी हालतमें रात्रिभोजनविरतिको यदि छठा महाव्रत मान लिया जाय अथवा महाव्रत न मानकर उसके द्वारा मुनियोंके मूलगुणोंमें एककी

वृद्धि की जाय—वे २८ के स्थानमें २९ स्वीकार किये जायें—तो इसमें जैनधर्मके मूल सिद्धान्तोंसे कोई विरोध नहीं आता। मूलोक्तर गुण हमेशा एक ही प्रकारके और एकही संख्यामें नहीं रहा करते। वे समयकी आवश्यकताओं, देशकालकी परिस्थितियों और प्रतिपाद्यों (शिष्यों) की योग्यता आदिके अनुसार बराबर बदला करते हैं—उनमें फेरफारकी जखरत हुआ करती है। महावीर भगवानसे पहले अजितनाथ तीर्थकरपर्यंत व्रत एक था; क्योंकि वार्षिक तीर्थकरोंने 'सामायिक' चारित्रिका उपदेश दिया है, 'छेदोपस्थापना' चारित्रिका नहीं। छेदोपस्थापनाका उपदेश श्रीऋषभदेव और महावीर भगवानने दिया है; जैसा कि श्रीवट्टकेराचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

*वावीसं तित्थयरा सामाहृयं संजमं उवदिसंति ।

छेदोवद्वावणियं पुन भयवं उसहो य वीरो य ॥७-३२॥
—मूलाचार ।

सामायिक चारित्रिकी अपेक्षा व्रत एक होता है, जिसे अहिंसात्रत अथवा सर्वसावद्यत्यागव्रत कहना चाहिये। वही व्रत छेदोपस्थापना चारित्रिकी अपेक्षा पंच प्रकारका—अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह रूपसे वर्णित किया गया है; जैसा कि श्रीपूज्यपाद आचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

“ सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एकं व्रतं,

तदेव छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधमिहोच्यते । ”

—सर्वार्थसिद्धि ।

* यह गाथा श्वेताम्बरोंकी 'आवश्यकनिर्युक्ति'में भी, जिसे भद्रवाहु श्रुतकेवलीकी बनाई हुई कहा जाता है, नं० १२४६ पर, साधारणसे पाठ भेदके साथ, पाई जाती है ।

इससे स्पष्ट है कि जब महावीर भगवानसे पहले अजितनाथ तीर्थकर-पर्यंत ब्रतोंमें सत्यन्रतादिककी कल्पना नहीं थी, आविभक्तरूपसे एक अहिंसात्र माना जाता था—सिर्फ अहिंसाको धर्म और हिंसाको पाप गिना जाता था—तब उस वक्त मुनियोंके ये अङ्गाइस मूल गुण भी नहीं थे और न श्रावकोंके वर्तमान वारह ब्रत बन सकते हैं—उनकी संख्या भी कुछ और ही थी। यह सब भेदकल्पना महावीर भगवानके समयसे हुई है। संभव है कि महावीर भगवानको अपने समयमें मुनियोंको रात्रिभोजनके ल्यागकी पृथकरूपसे उपदेश देनेकी जरूरत न पड़ी हो, उस वक्त आलोकितपानभोजन नामकी भावना आदिसे ही काम चल जाता हो और यह जरूरत पीछेके कुछ आचार्योंको द्वादशवर्षीय दुष्कालके समयसे पैदा हुई हो, जब कि वहुतसे मुनि रात्रिको भोजन करने लगे थे और शायद ‘परंकृतप्रदीप’ और ‘दिव्वानीत’ आदि हेतुआँसे अपने पक्षका समर्थन किया करते थे। और इस लिये दूरदर्शी आचार्योंने उस वक्त मुनियोंके लिये महान्रतोंके साथ—उनके अनन्तर ही—रात्रिभोजनविरतिका एक पृथक ब्रतरूपसे विधान करना आवश्यक समझा। वही विधान अव्रतक चला आता है। ऐसी ही हालत छठे अणुब्रतकी जान पड़ती है। उसे भी किसी समयके आचार्योंने ज्ञानरी समझ कर उसका विधान किया है। परन्तु

१ भोजन हम दीपकके प्रकाशमें अच्छी तरहसे देख भालकर करते हैं, और दीपकको दूसरेने स्वयं जलाया है इसलिये हमें उसका आरंभादिक दोष भी नहीं लगता।

२ भोजनके लिये रात्रिको विहार करने आदिका जो दोष आता था सो ठीक, परन्तु हम दिनमें विधिपूर्वक गोचरीके द्वारा भोजन ले आते हैं और रात्रिको परकृत प्रदीपके प्रकाशमें अच्छी तरह देख भालकर खा लेते हैं, इसलिये हमें कोई दोष नहीं लगता।

इन सब विधि-विधानोंका जैनसिद्धान्तों अथवा महावीर भगवानके शासनके साथ कोई विरोध नहीं है—सबका आशय और उद्देश्य सावद्य कर्मोंको छुड़ानेका है—यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक आचार्यने छठे अणुव्रतका विधान करके अथवा मुनियोंके लिये पृथकखूपसे एक नये व्रतकी ईजाद करके महावीर भगवानकी आज्ञाका उल्लंघन किया अथवा उन्मार्ग फैलाया है। ऐसा कहना भूल होगा। महावीर भगवानने सावद्यकर्मोंके लागका एक नुसखा (ओषधिकल्प) बतलाया था, जो उस समय उनके शिष्योंकी प्रकृतिके बहुत अनुकूल था। उनके इस बतलानेका यह आशय नहीं था कि दूसरे समयोंमें—शिष्योंकी प्रकृति बदल जानेपर भी—उसमें कुछ फेरफार न किया जाय। इसी-लिये उसमें अविरोधदृष्टिसे फेरफार किया गया है और अब भी उसी दृष्टिसे किया जा सकता है। आज यदि कोई महात्मा, वर्तमान देश-कालकी परिस्थितियों और आवश्यकताओंके अनुसार अणुव्रतोंकी संख्यामें एक नये व्रतकी वृद्धि करना चाहे—अर्थात्, (उदाहरणके तौर पर, ‘स्वदेशवस्तुव्यवहार’ नामका सातवाँ अणुव्रत स्थापित करे, तो वह खुशीसे ऐसा कर सकता है। उसमें भी कोई आपत्ति किये जानेकी जखरत नहीं है। क्योंकि अहिंसाव्रतकी रक्षाके लिये (‘अहिंसाव्रतरक्षार्थ’ इति सोमदेवः) अथवा पाँचों व्रतोंकी रक्षाके लिये (‘तोसि चेव वदाणं रक्षद्वं’ इति वट्केऽः) जिस प्रकार ‘रात्रिभोजनविरति’का विधान किया गया है उसी प्रकार अपरिग्रह—परिमितपरिग्रह—व्रतकी रक्षाके लिये अथवा अहिंसादिक पाँचों ही व्रतोंकी रक्षाके लिये ‘स्वदेशवस्तुव्यवहार’ नामका व्रत बहुतही उपयोगी जान पड़ता है। आजकल इसकी बड़ी जखरत भी है—विदेशी वस्तुओंके प्रबल प्रचारके कारण मनुष्योंका नाकों दम है, उनमें इतनी जखरतें बढ़ गई हैं और इतनी विलासप्रियता

छागई है कि उन सबके चक्ररमें पड़कर उन्हें धर्मकर्मकी प्रायः कुछ भी नहीं सूझती। और इसलिये धर्मकर्मका सब विधि विधान पुस्तकोंमें ही रखा रह जाता है—उन्हें अपनी कृत्रिम आवश्यकताओंको पूरा करनेसे ही पुर्सत नहीं मिलती। इन सब आपत्तियोंसे बचनेके लिये 'स्वदेश-वस्तुव्यवहार' नामका व्रत एक अमोघ शास्त्रका काम देगा। ऐसे महान् उपयोगी व्रतका विधान कभी महावीर भगवानके शासनके विरुद्ध नहीं हो सकता और न वह जैनसिद्धान्तोंके ही विरुद्ध कहा जा सकता है। अस्तु।

यहाँ, श्वेताम्बर आचार्योंका दृष्टिसे, मैं सिर्फ इतना और बतलाना चाहता हूँ कि उन्होंने रात्रिभोजनविरतिको छठा अणुव्रत तो नहीं माना, परन्तु साधुके २७ मूलगुणोंमें उसे पंचमहाव्रतोंके बाद छठा व्रत जरूर माना है। आवकोंके लिये श्रीहेमचन्द्राचार्यने रात्रि-भोजनके त्यागका विधान 'भोगोपभोगपरिमाण' नामके दूसरे गुणव्रतमें किया है। परन्तु श्रावकप्रज्ञातिके कर्ता आचार्यका उक्त गुणव्रतमें वैसा कोई विधान नहीं है। उसके टीकाकार श्रीहरिभद्रसूरि भी वहाँ रात्रि-भोजनके त्यागका कोई उल्लेख नहीं करते। उन्होंने 'वृद्धसम्प्रदाय' रूपसे जो प्राकृत गद्य अपनी टीकामें उल्लृत किया है उसमें भी रात्रि-भोजनके त्यागकी कोई विधि नहीं है। श्वेताम्बरसम्प्रदायका मुख्य ग्रन्थ उपासकदशांगसूत्र भी इस विषयमें मौन है—वह उक्त गुणव्रतका वर्णन करते-हुए रात्रिभोजनके त्यागका कुछ भी उल्लेख नहीं करता। इन सब बातोंसे ऐसा माल्हम होता है कि उनके यहाँ 'भोगोपभोग-परिमाण' नामके गुणव्रतमें रात्रिभोजनके त्यागका कोई खास नियम नहीं है। अन्यथा, श्रावकप्रज्ञातिके कर्ता या कमसे कम उसके टीकाकार उसका वहाँ उल्लेख जरूर करते। सम्भव है कि इस विषयमें उक्त सम्प्रदायके

शासनमें और भी गतिहार हो जो अमीतक अपनेको नाशम नहीं
हुआ।

इस तरह आचार्योंके शासनभौद्यालये पह अणुजातोंकी संख्या
आरिका कुछ विवेचन किया गया है। अणुजातोंके स्वद्वपनिषद् विशेष
गेत्रों स्त्रि किसी समय दिवसानेहा यन्म किया जायगा।

गुणवत् और शिक्षाव्रत

—८३०५—

जै

नार्यमें, अणुजातोंके व्याधि, धारके यात्रा मतोंमें तीन गुणवतों
और पाठ शिक्षाव्रतोंहा विभग पाया जाता है। इन सातों मतोंको
सप्त शीलव्रत भी कहते हैं। गुणजातोंमें अभिप्राप्य उन मतोंका है जो
अणुजातोंके गुणार्थ अर्थात् उपालग्नके विषय नियत किये गये हैं—भावना-
भूत हैं—अथवा जिनके द्वारा अणुजातोंकी एवं तथा पुष्टि होती है।
और शिक्षाव्रत उन्हें फहमे हैं जिनका गुण्य प्रयोजन शिक्षा अर्थात्
काम्यात है—जो शिक्षाके सानक तथा अम्बासके विषय है—अथवा
शिक्षाकी—दिवोपादानकी—जिनमें प्रधानता है और जो विशिष्ट ध्रुत-
शानभावनायां परिणतिद्वारा निर्याह किये जानेके बायग होते हैं। इनमें
गुणवत् प्रायः यायज्ञीयिक कहलाते हैं; अर्थात्, उनके धारणका नियम
प्रायः जीवनभरके विषय होता है—ये प्रतिसमय पालन किये जाते हैं—
और शिक्षाव्रत यायज्ञीयिक न होकर प्रतिदिन तथा नियत दिवसादिकके
विभागसे अम्ब्यसनीय होते हैं—उनका अम्बास प्रतिसमय नहीं हुआ
जरता, उन्हें परिगितकालभावित समश्वान चाहिये। यही सब इन दोनों

प्रकारके व्रतोंमें परस्पर दृढ़ुखयोग्य भेद पाया जाता है * । यद्यपि इन दोनों जातिके व्रतोंकी संख्यामें कोई आपत्ति मात्रम् नहीं होती—प्रायः सभी आचार्योंने, जिन्होंने गुणव्रत और शिक्षाव्रतका विधान किया है, गुणव्रतोंकी संख्या तीन और शिक्षाव्रतोंकी संख्या चार बतलाई है—तो भी इनके भेद तथा स्वत्पादिकके प्रतिपादनमें कुछ आचार्योंके परस्पर मत-भेद हैं । उत्ती मत-भेदको स्थूलरूपसे दिखलानेका यहाँपर यत्त किया जाता है:—

* चधाः—

१—अनुवृंहणादुणानामाल्यान्ति गुणव्रतान्यार्थाः ।

—इति स्वामीसमन्तभद्रः ।

२—“गुणार्थमणुव्रतानामुपकारार्थव्रतं गुणव्रतं । शिक्षार्थं अभ्यासाय ब्रतं देशावकाशिकादीनां प्रतिदिवसाभ्यसनीयत्वात् । अतएव गुणव्रतादस्य भेदः । गुणव्रतं हि प्रायो यावज्जीविकमाहुः । अथवा शिक्षाविद्योपादानं शिक्षाप्रधानं ब्रतं शिक्षाव्रतं देशावकाशिकादेविशिष्टश्रूतज्ञानभावनापरिणतत्वेनैव निर्वाह्यत्वात् ।” “शिक्षाव्रतत्वं चास्य शिक्षाप्रधानत्वात् परिमितकालं भवित्वाच्च ।”

—इत्याशाखरः, स्वत्वागत्वसांनृतदीक्षायां ।

३—“अणुव्रतानां परिपालनाय भावनाभूतानि गुणव्रतानि ।” “शिक्षापदानि च शिक्षाव्रतानि वा तत्र शिक्षा अभ्यासः स च चारित्रनिवन्धनविशिष्टक्रियाकलापविषयस्तस्य पदानि स्थानानि तद्विषयानि वा ब्रतानि शिक्षाव्रतानि ।”

—इति शापकश्छसिदीकायां, हरिभद्रः ।

४—“शीलं च गुणशिक्षाव्रतं । तत्र गुणव्रतानि अणुव्रतानां भावनाभूतानि । यथाणुव्रतानि तथा गुणव्रतान्यपि सकृदगृहीतानि यावज्जीवं भावनीयानि ।”...“शिक्षाऽभ्यासस्तस्याः पदानि स्थानानि अभ्यासविषयस्तान्येव ब्रतानि शिक्षापदव्रतानीति । गुणव्रतानि तु न प्रतिदिवसग्राह्याणि सकृदग्रहणान्येव ।

—इति तत्त्वार्थसूत्रत्वं स्वत्पदीकायां सिद्धसेनगणिः यशोभद्रः ।

(१) श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, अपने 'चारित्रपट्ठ' में, इन व्रतोंके-भेदोंका प्रतिपादन इस प्रकारसे करते हैं:—

दिसविदिसमाण पढमं अणत्थदंडस्स वज्जणं विदियं ।

भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिष्ण ॥ २५ ॥

सामाइयं च पढमं विदियं च तहेव पोसहं भणियं ।

तहयं अतिहीपुज्जं चउत्थं संलेहणा अंते ॥ २६ ॥

अर्थात्—१ दिशाविदिशाओंका परिमाण, २ अनर्थदंडका लाग और ३ भोगोपभोगका परिमाण, ये ही तीन गुणवत् हैं। १ सामायिक, २ प्रोषध, ३ अतिथिपूजन और ४ अन्तमें सल्लेखना, ये चार शिक्षावत् हैं।

'देवसेन' और 'शिवकोठि' नामके आचार्योंने भी अपने अपने ग्रन्थोंमें इसी मतका प्रतिपादन किया है। यथा:—

दिसिविदिसिपञ्चखाणं अणत्थदंडाण होह परिहारो ।

भोओपभोयसंखा एएहु गुणव्वया तिष्ण ॥ ३५४ ॥

देवे शुवह तियाले पव्वे पव्वे सुपोसहोवासं ।

अतिहीण संविभागो मरणंते कुणह सल्लिहणं ॥ ३५५ ॥

—भावसंग्रह, देवसेनः ।

(यहाँ 'देवे शुवह तियाले' (त्रिकालदेववन्दना) से 'सामायिक' का अभिप्राय है।

गुणवतानामाद्यं स्याद्विवरं तद् द्वितीयकम् ।

अनर्थदण्डविरतिस्तृतीयं प्रणिगद्यते ॥ १६ ॥

भोगोपभोगसंख्यानं, शिक्षावतमिदं भवेत् ।

सामायिकं प्रोषधोपवासोऽतिथिपूजनम् ॥ १७ ॥

मारणान्तिकसल्लेख इत्येवं तच्चतुष्टयम् ।.... १८ ॥

रत्नमालायां, शिवकोठिः ।

(२) तत्त्वार्थसूत्रके प्रणेता श्रीउमास्वाति आचार्यने यद्यपि अपने सूत्रमें ‘गुणव्रत’ और ‘शिक्षाव्रत’ ऐसा स्पष्ट नामोल्लेख नहीं किया, तो भी सातवें अध्यायमें सप्तशील व्रतोंका जिस क्रमसे निर्देश किया है उससे माछ्यम होता है कि उन्होंने १ दिग्विरति, २ देशविरति, ३ अनर्थदण्ड-विरतिको गुणव्रत; और १ सामायिक, २ प्रोपधोपवास, ३ उपभोगपरिमोगपरिमाण, ४ अतिथिसंविभागको शिक्षाव्रत माना है। यथा:—

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोपधोपवासोपभोगपरिभोग-
परिमाणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्च ।

इस सूत्रकी टीकामें—‘सर्वार्थसिद्धिमें’—श्रीपूज्यपाद आचार्य भी “दिग्विरतिः, देशविरतिः, अनर्थदण्डविरतिरिति । एतानि त्रीणि गुणव्रतानि” इस वाक्यके द्वारा पहले तीन व्रतोंको गुणव्रत सूचित करते हैं। और इसलिये वाकीके चारों व्रत शिक्षाव्रत हैं, यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि शीलव्रत गुणशिक्षाव्रतात्मक कहलाते हैं।

समशीलानि गुणव्रतशिक्षाव्रतव्यपदेशभांजीति ।

ऐसा, श्लोकवार्तिकमें, श्रीविद्यानन्द आचार्यका भी वाक्य है।

इससे उमास्वाति आचार्यका शासन, और संभवतः उनके समर्थक श्रीपूज्यपाद और विद्यानन्दआचार्यका शासन भी, इस विषयमें, कुन्दकुन्दाचार्य आदिके शासनसे एकदम विभिन्न जान पड़ता है। उमास्वातिने सल्लेखनाको शिक्षाव्रतोंमें तो क्या, श्रावकके बारह व्रतोंमें भी वर्णन नहीं किया; बल्कि व्रतोंके अनन्तर उसे एक जुदा ही धर्म प्रतिपादन किया है, जिसका अनुष्ठान मुनि और श्रावक दोनों किया करते हैं। इसके सिवाय, उन्होंने गुणव्रतोंमें ‘देशविरति’ नामके एक नये व्रतकी कल्पना की है और, साथ ही, भोगोपभोगपरिमाण व्रतको गुणव्रतोंसे

निकाल कर शिक्षाव्रतोंमें दाखिल किया है। तत्त्वार्थसूत्रके टीकाकारों पूज्यपाद, अकलंकदेव और विद्यानन्दमेंसे किसीने उनके इस कथनपर कोई आपत्ति नहीं की। वल्कि विद्यानन्दने एक वाक्यद्वारा साफ तौरसे सङ्खेखनाको अलग दिखलाया है और यह प्रतिपादन किया है कि 'जिसप्रकार मुनियोंके महाव्रत और शीलव्रत सम्यक्त्वपूर्वक तथा सङ्खेखनान्त होते हैं उसी प्रकार गृहस्थके पंच अणुव्रत और गुणवत्त-शिक्षाव्रतके विभागको लिये हुए, सप्तशीलव्रत भी सम्यक्त्वपूर्वक तथा सङ्खेखनान्त समझने चाहियें। अर्थात्, इन व्रतोंसे पहले सम्यक्त्वकी जरूरत है और अन्तमें—मृत्युके संनिकट होनेपर—सङ्खेखना, संन्यास अथवा समाधिका विधान होना चाहिये।' वह वाक्य इस प्रकार है:—

"तेन गृहस्थस्य पंचाणुव्रतानि सप्तशीलानि गुणवत्तशिक्षाव्रत-व्यपदेशभाँजीति द्वादशदीक्षाभेदाः सम्यक्त्वपूर्वकाः सङ्खेखनान्ताश्च महाव्रततच्छीलवत् ।"

इस वाक्यमें गृहस्थके बारहव्रतोंको 'द्वादश दीक्षाभेद' प्रकट किया है, जिससे उन लोगोंका बहुत कुछ समाधान हो सकता है जो अभी-तंक यह समझे हुए हैं कि आवक्तके बारहव्रतोंका युगपत् ही ग्रहण होता है, क्रमशः अथवा व्यस्त रूपसे नहीं।

हाँ, श्वेताम्बर टीकाकारोंमें श्रीसिद्धसेनगणि और यशोंभद्रजीने उमास्वातिके उक्त सूत्रपर कुछ आपत्ति जरूर की है। उन्होंने, दिग्विरतिके बाद देशविरतिके कथनको परमागमके क्रमसे विभिन्न सूचित करते हुए, एक प्रश्न खड़ा किया है और उसके द्वारा यह विकल्प उठाया है कि, जब परमागममें गुणव्रतोंका क्रमसे निर्देश करनेके बाद शिक्षाव्रतोंका उपदेश दिया गया है तो फिर सूत्रकार

(उमास्वाति) ने उसके विलद्ध भिन्नक्रम किस लिये रखा है । अर्थात् दिग्ब्रत्यादि गुणवत्तोंका कथन पूरा किये विना ही वीचमें ' देशविरति ' नामके शिक्षाव्रतका उपदेश क्यों दिया है ? और फिर आगे स्वयं ही इस क्रमभंगके आरोपका समाधान किया है । यथा :—

“ संप्रति क्रमनिर्दिष्ट देशव्रतमुच्यते । अत्राह वक्ष्यति भगवान् देशव्रतं । परमार्पणवचनक्रमः कैमर्थ्याद्विनः सूत्रकारेण । आर्ये तु गुणवत्तानि क्रमेणादिश्य शिक्षाव्रतान्युपदिष्टानि सूत्रकारेण त्वन्यथा । तत्रायमभिप्रायः पूर्वतो योजनशतपरिमितं गमनमभिगृहीतं न चास्ति संभवो यत्प्रतिदिवसं तावती दिग्बगाहाऽत्तस्तदनंतरमेवोपदिष्ट देशव्रतमिति । देशे भागेऽवस्थापनं प्रतिप्रदिनं प्रतिप्रहरं प्रतिक्षणमिति सुखावबोधार्थमन्यथाक्रमः । ”

इस अवतरणमें क्रमभंगके आरोपका जो समाधान किया गया है और उसका जो अभिप्राय बतलाया गया है, वह इस प्रकार है :—

‘ पहलेसे सौ योजन गमनका परिमाण ग्रहण किया था, परंतु यह संभव नहीं कि प्रति दिन इतने परिमाणमें दिशाओंका अवगाहन हो सके इस लिये उसके (दिग्ब्रतके) बाद ही देशव्रतका उपदेश दिया गया है । इस तरह सुखसे समझमें आनेके लिये (सुखावबोधार्थ) सूत्रकारने यह भिन्नक्रम रखा है । ’

जो विद्वान निष्पक्ष विचारक हैं उन्हें ऊपरके इन समाधानवाक्योंसे कुछ भी संतोष नहीं हो सकता । वास्तवमें इनके द्वारा आरोपका कुछ भी समाधान नहीं हो सका । देशव्रतको दिग्ब्रतके अनन्तर रखनेसे वह भले प्रकार समझमें आ जाता है, बादको रखनेसे वह समझमें न आता या कठिनतासे समझमें आता, ऐसा कुछ भी नहीं है । और

इस लिये 'सुखावबोध' नामके जिस हेतुका प्रयोग किया गया है वह कुछ कार्यसाधक माल्हम नहीं होता। सूत्रकार जैसे विद्वानोंसे ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं हो सकती कि वे, जानते वृज्ञते और मानते हुए भी, ख्वामख्वाह एक जातिके व्रतको दूसरी जातिके व्रतोंमें शामिल कर दें, उन्हें ऐसी वातोंका खास ख्याल रहता है और इसी लिये उन्होंने अपने सूत्रमें अनेक वातोंको, किसी न किसी विशेषताके प्रतिपादनार्थ, अलग अलग विभक्तियोंद्वारा दिखलानेकी चेष्टा भी की है। यहाँ क्रमनिर्देशसे ही गुणव्रत और शिक्षाव्रत अलग हो जाते हैं, इस लिये किसी विभक्तिद्वारा उन्हें अलग अलग दिखलानेकी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, दिग्देशानर्थ दंडके बाद 'विरति' शब्द लगाकर इन तीनों व्रतोंकी एकजातीयता और दूसरे व्रतोंसे विभिन्नताको कुछ सूचित जरूर किया है, ऐसा माल्हम होता है। यदि उमास्वातिको 'देशविरति' नामके व्रतका शिक्षाव्रत होना इष्ट होता तो कोई वजह नहीं थी कि वे उसका यथास्थान निर्देश न करते। तत्त्वार्थाधिगमभाष्यमें भी, जिसे स्वयं उमास्वातिका बनाया हुआ भाष्य बतलाया जाता है, इस विपयका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यदि उमास्वातिने सुखावबोधके लिये ही (जो ग्रायः सिद्ध नहीं है) यह क्रमभंग किया होता और तत्त्वार्थाधिगमभाष्य स्वयं उन्हींका स्वोपन्न ठीकाप्रयंथ था तो वे उसमें अपनी इस वातका स्पष्टीकरण जरूर करते, ऐसा हृदय कहता है। परंतु वैसा नहीं पाया जाता और न उनकी इस सुखावबोधिनी वृत्तिका श्वेताम्बर सम्प्रदायमें पीछेसे कुछ अनुकरण देखा जाता है। इस लिये, विना इस वातको स्वीकार किये कि उमास्वाति आचार्य 'देशविरति' नामके व्रतको गुणव्रत और 'उपभोगपरिभोगपरिमाण' नामके व्रतको शिक्षाव्रत मानते थे, उक्त क्रमभंगके आरोपका समुचित समाधान नहीं बनता। मुझे तो ऐसा

मालूम होता है कि श्वेताम्बरसम्प्रदायके आगम ग्रंथोंसे तत्त्वार्थसूत्रकी विधि ठीक मिलानेके लिये ही यह सब खींचातानी की गई है। अन्यथा, उमास्वाति आचार्यका मत इस विषयमें वही मालूम होता है जो इस नम्बर (२) के शुरूमें दिखलाया गया है और जिसका समर्थन श्रीपूज्यपादादि आचार्योंके वाक्योंसे भले प्रकार होता है। और भी वहुतसे आचार्य तथा विद्वान् इस मतको माननेवाले हूए हैं, जिनमेंसे कुछके वाक्य नीचे उद्धृत किये जाते हैं:—

दिग्देशानर्थदंडानां विरतिस्त्रितयाश्रयम् ।
गुणवत्त्रयं सन्दिः सागारयतिषु स्मृतम् ॥
आदौ सामायिकं कर्म प्रोपधोपासनक्रिया ।
सेव्यार्थनियमो दानं शिक्षाव्रतचतुष्टयं ॥

—यशस्तिलके, सोमदेवः ।

(यहाँ 'सेव्यार्थनियम' से उपभोगपरिभोगपरिमाणका और 'दान' से अतिथिसंविभागका अर्थ समझना चाहिये ।)

स्थवीयसीं विरतिमभ्युपगतस्य श्रावकस्य व्रतविशेषो गुण-
व्रतत्रयं शिक्षाव्रतचतुष्टयं शीलसम्प्रक्रित्युच्यते । दिग्विरतिः,
देशविरतिः, अनर्थदंडविरतिः, सामायिकं, प्रोपधोपवासः, उप-
भोगपरिभोगपरिमाणं, अतिथिसंविभागश्चेति ।

—चारित्रसारे, श्रीचामुङ्डरायः ।

दिग्देशानर्थदंडेभ्यो विरतिर्या विधीयते
जिनेश्वरसमाख्यातं त्रिविधं तद्दुणवतं ॥

—सुभाषितरत्नसंदोहे, अभितगतिः ।

शिक्षाव्रतं चतुर्मेदं सामायिकमुपोपितम् ।
भोगोपभोगसंख्यानं संविभागोऽशनेऽतिथेः ॥ १९-८३ ॥

—धर्मपरीक्षायां, अमितगतिः ।

दिग्देशानर्थदंडेभ्यो यत्त्रिधा विनिवर्तनम् ।

पोतायते भवाम्भोधौ त्रिविधं तद्गुणव्रतम् ॥

भोगोपभोगसंख्यानं....। तृतीयं तत्तदाख्यं स्यात्....॥

—धर्मशर्माभ्युदये, श्रीहरिचंद्रः ।

ऊपरके इन सब अंकतरणोंसे साफ प्रकट है कि श्रीसोमदेवसूरि, चामुँडराय, अमितगति आचार्य और श्रीहरिचंद्रजीने दिग्विरति, देशविरति, अनर्थदंडविरति इन तीनोंकों गुणव्रत और सामायिक, प्रोष-धोपवास, भोगोपभोगपरिमाण, अतिथिसंविभाग, इन चारोंको शिक्षाव्रत वर्णन किया है । साथ ही, इन सभी विद्वानोंने भी सहेष्वनाको श्राव-कंके बारह व्रतोंसे अलग एक जुदा धर्म प्रतिपादन किया है । इस लिये इनका शासन भी, इस विषयमें श्रीकुंदकुंदराचार्यके शासनसे विभिन्न है । परंतु उसे उमास्वातिके शासनके अनुकूल समझना चाहिये ।

(३.) स्थामी समंतभद्र अपना शासन, इस विषयमें, कुंदकुंद और उमास्वातिके शासनसे कुछ भिन्नभिन्नरूपसे स्थापित करते हुए, अपने 'रत्नकरंडक' नामके उपासकाध्ययनमें, इन व्रतोंका प्रतिपादन-इस प्रकारसे करते हैं:—

दिग्व्रतमनर्थदंडव्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम् ।

अनुबूँहणाद्गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्थाः ॥

देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोपधोपवासो वा ।

वैद्यावृत्यं शिक्षाव्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥

अर्थात्—दिग्नत, अनर्थदंडवत् और भोगोपभोगपरिमाण, इन तीन ब्रतोंके द्वारा गुणोंकी (कणुब्रतोंकी अथवा समन्तभद्र-प्रतिपादित अष्ट मूलगुणोंकी) वृद्धि तथा पुष्टि होनेसे आर्य पुरुष इन्हें गुणवत् कहते हैं । देशावकाशिक, सामायिक, प्रोधवोपवास और वैव्यावृत्य, ये चार शिक्षाभृत बतलाये गये हैं ।

इससे स्पष्ट है कि गुणब्रतोंके सम्बन्धमें स्वामी समन्तभद्र और कुन्द-कुन्दाचार्यका शासन एक है । परन्तु शिक्षाब्रतोंके सम्बन्धमें वह एक नहीं है । समन्तभद्रने 'सल्लेखना' को शिक्षाब्रतोंमें नहीं रखा बल्कि उसकी जगह 'देशावकाशिक' नामके एक दूसरे ब्रतकी तजवीज़ की है और उसे शिक्षाब्रतोंमें सबसे पहला स्थान प्रदान किया है । रही उमास्वातिके साथ तुलनाकी वात, समन्तभद्रका शासन उमास्वातिके शासनसे दोनों ही प्रकारके ब्रतोंमें कुछ विभिन्न है । उमास्वातिने जिस 'देशविरति' ब्रतको दूसरा गुणब्रत बतलाया है समन्तभद्रने उसे 'देशावकाशिक' नामसे पहला शिक्षाब्रत प्रतिपादन किया है । और समन्तभद्रने जिस 'भोगोपभोगपरिमाण' नामके ब्रतको गुणब्रतोंमें तीसरे नम्बर पर रखा है उसे उमास्वातिने शिक्षाब्रतोंमें तीसरा स्थान प्रदान किया है । इसके सिवाय, 'अतिधिसंविभाग' के स्थानमें 'वैव्यावृत्य' को रखकर समन्तभद्रने उसकी व्यापकताको कुछ अधिक बढ़ा दिया है । उससे अब केवल दानका ही प्रयोजन नहीं रहा बल्कि उसमें संयमी पुरुषोंकी दूसरी प्रकारकी सेवा टहल भी आ जाती है । इसी वातका स्पष्टीकरण करनेके लिये आचार्यमहोदयने, अपने प्रम्यमें, दानार्थ-प्रतिपादक पदसे भिन्न एक दूसरा पद भी दिया है जो इस प्रकार है:—

व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् ।
वैयावृत्यं यावानुपग्रहीत्योपि संयमिनाम् ॥

पै० आशाधरजीने अपने सागारधर्ममृष्टमें इन व्रतोंका कथन प्रायः स्वामी समन्तभद्रके मतानुसार ही किया है । गुणव्रतोंका कथन प्रारंभ करते हुए, टीकामें, 'आहुर्वृवन्ति स्वामिमतानुसारिणः' इस वाक्यके द्वारा उन्होंने स्वामी समन्तभद्रके मतकी ओरोंसे भिन्नता और अपनी उसके साथ अनुकूलताको खुले शब्दोंमें उद्घोषित किया है । परन्तु शिक्षाव्रतोंका प्रारंभ करते हुए टीकामें ऐसा कोई वाक्य नहीं दिया, जिसका कारण शायद यह मालूम होता है कि उन्होंने समन्तभद्रके 'वैच्यावृत्य' नामक चौथे शिक्षाव्रतके स्थानमें उमास्वातिके 'अतिथि-संविधान' व्रतको ही रखना पसंद किया है । और उसका लक्षण भी दानार्थ-प्रतिपादक किया है । यथा:—

व्रतमतिथिसंविभागः पात्रविशेषाय विधिविशेषेण ।

द्रव्यविशेषविवरणं दातुविशेषस्य फलविशेषाय ॥ ५-४१ ॥

'देशावकाशिक' व्रतका वर्णन करते हुए, टीकामें, पै० आशाधरजीने लिखा है कि, शिक्षाकी प्रधानता और परिमितकाल-भावितप्रयोगी बजहसे इस व्रतको शिक्षाव्रतत्वकी प्राप्ति है । यह दिग्व्रतके समान यावज्जीविक नहीं होता । परन्तु तत्त्वार्थमूल आदिकमें जो इसे गुणवत् माना सो वहाँ इसका लक्षण दिग्व्रतको संक्षिप्त करने मात्र विवक्षित मालूम होता है । साथ ही, वहाँ इसे दूसरे गुण-न्तादिकोंका संक्षेप करनेके लिये उपलक्षण रूपसे प्रतिपादित समझना चाहिये । अन्यथा, दूसरे व्रतोंके संक्षेपको यदि अलग अलग 'व्रत कर दिया जाता तो व्रतोंकी 'वारह' संख्यामें विरोध आता । यथा:—

"शिक्षाव्रतत्वं चास्य शिक्षाप्रधानत्वात्परिमितकालभावित्वाच्छोच्यते । न खल्वेतदिग्व्रतवद्यावज्जीविकमपीष्यति । यत्तु तत्त्वार्थादौ गुणवतत्वमस्य श्रूयते तदिग्व्रतसंक्षेपणलक्षणत्वमात्रस्येव

विवक्षित्वाछस्यते । दिग्ब्रतसंक्षेपकरणं चात्रा(न्य)गुणवत्तादि-
संक्षेपकरणस्याप्युपलक्षणं द्रष्टव्यं । एपामपि संक्षेपस्यावश्यकत्वे-
व्यत्वात्प्रतिवर्तं च संक्षेपकरणस्य भिन्नवत्त्वे गुणाः स्युद्धादशेति
संख्याविरोधः स्यात् ।”

पं० आशाधरजीके इन वाक्योंसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि उमास्वातिका शासन, चाहे वह किसी भी विवक्षासे* क्यों न हो, इस विषयमें समन्तभद्रके शासनसे और उन श्वेताम्बर आचार्योंके शासनसे विभिन्न है जिन्होंने ‘देशावकाशिक’ को शिक्षाव्रत प्रतिपादन किया है ।

(४) स्वामिकातिंकेयने, अपने ‘अनुपेक्षा’ ग्रन्थमें देशाव-
काशिकको चौथा शिक्षाव्रत प्रतिपादन किया है । अर्थात्, शिक्षाव्रतोंमें
उसे पहला दर्जा न देकर अन्तका दर्जा प्रदान किया है । साथ ही,
उसके स्वरूपमें दिशाओंके परिमाणको संकोचनेके साथ साथ इन्द्रियोंके
विषयोंको अर्थात् भोगोपभोगके परिमाणको भी संकोचनेका विधान
किया है । यथा:—

- पुञ्चपमाणकदाणं सञ्चिदिसीणं पुणोवि संवरणं ।
इन्द्रियविसयाण तहा पुणोवि जो कुणदि संवरणं ॥ ३६७ ॥
- वासादिकयपमाणं दिषेदिषे लोहकामसमणत्यं ।
सावज्जवज्जणहं तस्स चउत्थं वयं होदि ॥ ३६८ ॥

* पं० आशाधरजीने जिस विवक्षाका उल्लेख किया है उसके अनुसार ‘देश-
व्रत’ गुणवत्त ही सकता है और उसका नियम भी यावबीचके लिये किया जा
सकता है । इसी तरह भोगोपमोगपरिमाण यावबीचिक भी होता है, ऐसा न मान-
कर यदि उसे नियतकालिक ही माना जावे तो इस विवक्षासे वह शिक्षाव्रतोंमें भी
जा सकता है । विवक्षासे केवल विरोधका परिहार होता है । परंतु शासनमेद-
और भी अधिकताके साथ दृढ़ तथा स्पष्ट हो जाता है ।

इस तरह उनके इस व्रतका क्रम तथा विषय समन्तभद्रके क्रम तथा विषयसे कुछ भिन्न है और इस भिन्नताके कारण दूसरे शिक्षाव्रतोंके क्रममें भी भिन्नता आ गई है—उनके नम्बर बदल गये हैं। इसके सिवाय, स्वामिकार्तिकेयने ‘वैव्यावृत्य’ के स्थानमें ‘दान’ का ही विधान किया है *। इन सब विभिन्नताओंके सिवाय, अन्य प्रकारसे उनका शासन, इस विषयमें, समन्तभद्रके शासनसे प्रायः मिलता जुलता है। और इस लिये यह कहनेमें कोई संकोच नहीं हो सकता कि स्वामिकार्तिकेयका शासन कुन्दकुन्द, उमास्वाति, पूज्यपाद, विद्यानन्द, सोमदेव, अमितगति और कुछ समन्तभद्रके शासनसे भी भिन्न है।

(५) श्रीजिनसेनाचार्य, ‘आदिपुराण’ के १०वें पर्वमें, लिखते हैं:—

दिग्देशानर्थदंडेभ्यो विरतिः स्यादुणव्रतम् ।

भोगोपभोगसंख्यानमप्याहुस्तदुणव्रतम् ॥ ६५ ॥

समतां प्रोषधविधि तथैवातिथिसंग्रहम् ।

मरणान्ते च संन्यासं प्राहुः शिक्षाव्रतान्यपि ॥ ६६ ॥

अर्थात्—दिग्विरति, देशविरति, अनर्थदंडविरति; ये (तीन) गुणव्रत हैं; भोगोपभोगपरिमाणको भी गुणव्रत कहते हैं। समता (सामायिक), प्रोषधविधि, अतिथिसंग्रह (अतिथिपूजन) और मरणके संनिकट होने पर संन्यास, इन (चारों) को शिक्षाव्रत कहते हैं।

इससे माल्यम होता है कि श्रीजिनसेनाचार्यका मत, इस विषयमें, समन्तभद्रके मतसे बहुत कुछ भिन्न है। उन्होंने देशविरतिको शिक्षाव्रतोंमें न रख कर उमास्वाति तथा पूज्यपादादिके सदृश उसे गुणव्रतोंमें

* “दाणं जो देदि सयं णवदाणविहीर्विहिं संज्ञुत्तो ॥

सिक्खावयं च तिदियं तस्सं हवे.....॥”

रखा है, और साथ ही संन्यास (सहेखना) को भी शिक्षाव्रत प्रतिपादन किया है। इसके सिवाय, भोगोपभोगपरिमाणको भी जो उन्होंने गुणव्रत सूचित किया है उसे केवल समन्तभद्रादि के मतका उल्लेख मात्र समझना चाहिये। अन्यथा, गुणव्रतोंकी संख्या चार हो जायगी, और यह मत प्रायः सभीसे भिन्न ठहरेगा। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें गुणव्रतसम्बन्धी प्रायः सभी मतोंका समावेश हो जायगा। शिक्षाव्रतोंके सम्बन्धमें आपका मत, कुन्दकुन्दको छोड़कर, उमास्ताति, धूज्यपाद, विद्यानन्द, सोमदेव, अमितगति, समन्तभद्र और स्वामि-कार्तिकेय आदि प्रायः सभी आचार्योंसे भिन्न पाया जाता है।

(६) श्रीवसुनन्दी आचार्यने, अपने श्रावकाचारमें, शिक्षाव्रतोंके १ भोगविरति, २ परिभोगनिवृत्ति, ३ अतिथिसंविभाग और ४ सहेखना, ये चार नाम दिये हैं। यथा:—

“तं भोयविरह भणियं पढमं सिक्खावयं सुन्ते ।”

“तं परिभोयणिवृत्ति विदियं सिक्खावयं जाणे ।”

“अतिहिस्स संविभागो तिदियं सिक्खावयं मुणेयव्वं ।”

“सहेखणं चउत्थं सुन्ते सिखावयं भणियं ।”

इससे स्पष्ट है कि वसुनन्दी आचार्यका शासन, इस विषयमें, पहले कहे हुए सभी आचार्योंके शासनसे एकदम विभिन्न है। आपने भोग-परिभोगपरिमाण नामके व्रतको, जिसे किसीने गुणव्रत और किसीने शिक्षाव्रत माना था, दो द्रुकब्दोंमें विभाजित करके उन्हें शिक्षाव्रतोंमें सबसे पहले दो व्रतोंका स्थान प्रदान किया है और भोगविरतिके सम्बन्धमें लिखा है कि उसे सूत्रमें पहला शिक्षाव्रत बतलाया है। माल्हम नहीं वह कौनसा सूत्र-ग्रन्थ है, जिसमें केवल भोगविरतिको प्रथम शिक्षाव्रत

प्रतिपादन किया है। इसके सिवाय, आपने सामायिक और प्रोषधोपवास नामके दो ब्रतोंको, जिन्हें उपर्युक्त सभी आचार्योंने शिक्षाब्रतोंमें रखा है, इन ब्रतोंकी पंक्तिमेंसे ही कृतई निकाल डाला है। शायद आपको यह खयाल हुआ हो कि, जब 'सामायिक' और 'प्रोषधोपवास' नामकी दो प्रतिमाएँ ही अलग हैं तब व्रतिक प्रतिमामें इन दोनों ब्रतोंके रखनेकी क्या जखरत है और इसी लिये आपको वहाँसे इन ब्रतोंके निकालनेकी जखरत पड़ी हो, अथवा इस निकालनेकी कोई दूसरी ही वजह हो। कुछ भी हो, यहाँ मैं, इस विषयमें, कुछ विशेष विचार उपस्थित करनेकी जखरत नहीं समझता। परन्तु इतना जखर कहूँगा कि बारह ब्रतोंमें—व्रतिक प्रतिमामें—सामायिक और प्रोषधोपवास शीलखपसे निर्दिष्ट हैं और अपने अपने नामकी प्रतिमाओंमें वे व्रतखपसे प्रतिपादित हुए हैं *। 'शील'का लक्षण अकलुकदेव और विद्यानन्दने, अपने अपने वार्तिकोंमें 'व्रतपरिक्षण' किया है। पूज्यपाद भी 'व्रतपरिक्षणार्थं शीलं' ऐसा लिखते हैं। जिस प्रकारं परिधियाँ नगरकी रक्षा करती हैं उसी प्रकार 'शील' ब्रतोंकी पालना करते हैं, ऐसा श्रीअमृतचन्द्र आचार्यका कहना है ×। श्रेताम्बराचार्य श्रीसिद्धसेनगणि और यशोभद्रजी भी अणुब्रतोंकी दृढ़ताके लिये शीलब्रतोंका उपदेश बतलाते हैं ♪। अतः अहिंसादिक ब्रतोंकी रक्षा,

* यत्प्राकृ सामायिकं शीलं तद्वर्तं प्रतिमावतः ।

यथा तथा प्रोषधोपवासोऽपीत्यत्र युक्तिवाक् ॥.

—सागारधर्ममृते, आशाधरः ।

× परिधय इव नगराणि ब्रतानि किल पालयन्ति शीलानि ।

—पुरुषार्थसिद्धयुपायः ।

♪ प्रतिप्रजस्याणुवतस्यागारिणस्तेषामेवाणुवतानां दाढ्यापादनाय शीलोपदेशः ।

—तत्त्वार्थसूत्रटीका ।

परिपालना और दृढ़ता सम्पादन करना ही सप्तशीलोंका मुख्य उद्देश्य है। और इस दृष्टिसे सप्तशीलोंमें वर्णित सामायिक और ग्रोषधोपचासको नगरकी परिधि और शस्यकी वृति (धान्यकी वाड़) के समान अणुवत्तोंके परिक्षक समझना चाहिये। वहाँ पर मुख्यतया रक्षणीय व्रतोंकी रक्षाके लिय उनका केवल अभ्यास होता है, वे स्वतन्त्र व्रत नहीं होते। परन्तु अपनी अपनी प्रतिमाओंमें जाकर वे स्वतन्त्र व्रत बन जाते हैं और तब परिधि अथवा वृति (वाड़) के समान दूसरोंके केवल रक्षक न रहकर नगर अथवा शस्यकी तरह स्वयं प्रधानतया रक्षणीय हो जाते हैं और उनका उस समय निरतिचार पालन किया जाता है*। यही इन व्रतोंकी दोनों अवस्थाओंमें परस्पर भेद पाया जाता है।

माल्हम नहीं उक्त वसुनन्दी सैद्धान्तिकने, श्रीकुन्दकुन्द, शिवकोटि, तथा देवसेनाचार्य और जिनसेनाचार्यने भी, सल्लेखनाको शिक्षाव्रतोंमें

* सातिचार और निरतिचारका यह मतभेद 'लाटीसंहिता'के निम्न वाक्यसे जाना जाता है:—

"सातिचारं तु तत्र स्यादतीचारवर्जितम्।"

इस संहितामें यह भी लिखा है कि व्रतप्रतिमामें यदि किसी समय किसी वजहसे इन सामायिकादिक व्रतोंका अनुष्ठान न किया जाय तो उससे व्रतको हानि नहीं पहुँचती, परन्तु अपनी प्रतिमामें जाकर उनके न करनेसे जहर हानि पहुँचती है। जैसा कि सामायिक-विषयके उसके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

तत्र हेतुवशात्कापि कुर्यात्कुर्यात्क्वापि क्वचित्।

सातिचारव्रतेत्वाद्वा तथापि न व्रतक्षतिः ॥

अत्रावश्यं त्रिकालेऽपि कार्यं सामायिकं च यत् ।

अन्यथा व्रतहानिः स्यादतीचारस्य का कथा ॥

क्यों रखा है, जबकी शिक्षावत्त अन्यासके लिये नियत किये गये हैं और स्लेखना मरणके सन्दिकट होनेपर एक बार प्रहण की जाती है, उसका पुनः पुनः अनुष्टान नहीं होता और इसलिये उसके द्वारा प्रायः कोई अन्यासविशेष नहीं बनता । दूसरे, प्रतिमाओंका विषय अपने अपने पूर्वगुणोंके साथ ऋम-विद्वद् बतलाया गया है । अर्थात्, उत्तर-उत्तरकी प्रतिमाओंमें, अपने अपने गुणोंके साथ, पूर्व-पूर्वकी प्रतिमाओंके सारे गुण विद्यमान होने चाहियें* । बारह ब्रतोंमें स्लेखनाको स्थान देनेसे 'प्रतिक' नामकी दूसरी प्रतिनामें उसकी पूर्ति आवश्यक हो जाती है । विना उस गुणकी पूर्तिके अगली प्रतिमाओंमें आरोहण नहीं हो सकता और स्लेखनाको पूर्तिपर शरीरकी ही समाप्ति हो जाती है, फिर अगली प्रतिमाओंका अनुष्टान कैसे बन सकता है ? अतः स्लेखनाको शिक्षावत्त बानकर दूसरी प्रतिनामें रखनेसे तीसरी सामायिकादि प्रतिमाओंका अनुष्टान अशक्य हो जाता है और वे केवल कथनमात्र रह जाती हैं, यह बड़ा दोष आता है । इस पर विद्वानोंको विचार करना चाहिये । इसी लिये प्रसंग पाक्तर यहाँ पर यह विकल्प उठाया गया है । सम्भव है कि ऐसे ही किन्तु कारणोंसे समन्तभद्र, उमात्वाति, सोमदेव, अमित्तगति और स्वामि-कार्तिकेयादि आचार्योंने स्लेखनाको शिक्षावत्तोंमें स्थान न दिया हो, अथवा वसुनन्दी आदिकका स्लेखनाको शिक्षावत्त करार देनेमें कोई दूसरा ही केतु हो । उन्हें प्रतिमाओंके विषयका अपने पूर्व गुणोंके साथ विवृद्ध

* आवक्तपदानि देवैरेकादशा देशितानि येषु स्लु ।

स्वगुणः पूर्वगुणः सह तिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः ॥

होना ही इष्ट न हो। कुछ भी हो, उसके माल्हम होनेकी जरूरत है : और उससे आचार्योंका शासनभेद और भी अधिकताके साथ व्यक्त होगा।

गुणव्रतोंके सम्बन्धमें भी वसुनन्दीका शासन समन्तभद्रादिके शासनसे विभिन्न है उन्होंने दिग्विरति, देशविरति और संभवतः अनर्थदंडविरतिको गुणवत करार दिया है। अनर्थदंडके साथमें 'संभवतः' शब्द इस वजहसे लगाया गया है कि उन्होंने अपने प्रन्थमें उसका नाम नहीं दिया। और लक्षण अथवा स्वरूप जो दिया है वह इस प्रकार है:—

अयंदंडपासविक्षय कूडतुलामाणकूरसत्ताणं ।

जं संगहो ण कीरइ तं जाण गुणव्यं तिदियं ॥

इसमें लोहेके दंड-पाशको न बेचने और द्विती तराजू, झुठे वाट-तथा कूर जन्मुओंके संग्रह न करनेको तीसरा गुणवत बतलाया गया है। अनर्थदंडका यह लक्षण अथवा स्वरूप समन्तभद्रादिके पंचभेदात्मक-अनर्थदंडके लक्षण तथा स्वरूपसे विलकुल विलक्षण माल्हम होता है। इसी तरह देशविरतिका लक्षण भी आपका औरोंसे विभिन्न पाया जाता है। आपने उस देशमें गमनके त्यागको देशविरति बतलाया है जहाँ व्रतभंगका कोई कारण मौजूद हो *। और इस लिये जहाँ व्रतभंगका कोई कारण नहीं उन देशोंमें गमनका त्याग आपके उक्त व्रतकी सीमासे बाहर समझना चाहिये। दूसरे आचार्योंके मतानुसार देशावकाशिक-व्रतके लिये ऐसा कोई नियम नहीं है। वे कुछ कालेके लिये दिग्वित-द्वारा प्रहण किये हुए क्षेत्रके एक खास देशमें स्थितिका संकल्प करके

* वयभंगकारण होई जस्मि देसास्मि तत्थ णियमेण ।

कीरइ गमणणियन्ती तं जाण गुणव्यं विदियं ॥ २६४ ॥

अन्य संपूर्ण देशों—भागों—के त्यागका विधान करते हैं चाहे उनमें व्रतभंगका कोई कारण हो या न हो । जैसा कि देशावकाशिक व्रतके निम्न लक्षणसे प्रकट है:—

स्थास्यामीदभिदं यावदियत्कालमिहास्पदे ।

इति संकल्प्य संतुष्टस्तिएन्देशावकाशिकी ॥

—इत्याशाधरः ।

यहाँ पर मुझे इन व्रतोंके लक्षणादिसम्बन्धी विशेष मतभेदको दिखलाना इष्ट नहीं है । वह वसुनन्दीसे पहले उल्लेख किये हुए आचारोंमें भी; थोड़ा बहुत, पाया जाता है । और इन व्रतोंके अतीचारोंमें भी अनेक आचारोंके परस्पर मतभेद है, इस संपूर्ण मतभेदको दिखलानेसे लेख बहुत बढ़ जायगा । अतः लक्षण, स्वरूप तथा अतीचारसंबंधी विशेष मतभेदको फिर किसी समय दिखलानेका यत्न किया जायगा । यहाँ, इस समय, सिर्फ़ इतना ही समझना चाहिये कि इन दोनों प्रकारके व्रतोंके भेदादिकप्रतिपादनमें आचारोंके परस्पर बहुत कुछ मतभेद है । इन व्रतोंका विषयक्रम कक्षाओंके पठनक्रम (course) की तरह समय समयपर बदलता रहा है । और इस लिये यह कहना बहुत कठिन है कि महावीर भगवानने इन विभिन्न शासनोंमेंसे कौनसे शासनका प्रतिपादन किया था । संभव है कि उनका शासन इन सबोंसे कुछ विभिन्न रहा हो । परंतु इतना झरूर कह सकते हैं कि इन विभिन्न शासनोंमें परस्पर सिद्धान्तभेद नहीं है—जैनसिद्धान्तोंसे कोई विरोध नहीं आता—और न इनके प्रतिपादनमें जैनाचार्योंका परस्पर कोई उद्देश्यभेद पाया जाता है । सबोंका उद्देश्य साध्य कर्मोंके त्यागकी परिणामिको क्रमशः बढ़ाने—उसे अणुव्रतोंसे महाव्रतोंकी ओर ले जाने—और लोभादिकका निग्रह कराकर संतोषके साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करानेका माल्यम होता है । हाँ दृष्टिभेद,

अपेक्षाभेद, विषयभेद, क्रमभेद, प्रतिपादकोंकी समझ और प्रतिपाद्योंकी स्थिति आदिका भेद अवश्य है, जिसके कारण उक्त शासनोंको विभिन्न जरूर मानना पड़ेगा। और इस लिये यह कभी नहीं कहा जा सकता कि महावीर भगवानने ही इन सब विभिन्न शासनोंका विधान किया था—उनकी वाणीमें ही ये सब मत अथवा इनके प्रतिपादक शास्त्र इसी रूपसे प्रकट हुए थे। ऐसा मानना और समझना नितान्त भूलसे परिपूर्ण तथा वस्तुस्थितिके विवर होगा। अतः श्रीकुंदकुंदाचार्यने गुणवत्तोंके संबंधमें, ‘एव, शब्द लगाकर—इयमेव गुणव्यया तिष्ण’ ऐसा लिखकर—जो यह नियम दिया है कि, दिशा-विदिशाओंका परिमाण, अनर्थदंडका त्याग और भोगोपभोगका परिमाण, ये ही तीन गुणवत हैं, दूसरे नहीं, इसे उस समयका, उनके सम्बद्धायका अथवा खास उनके शासनका नियम समझना चाहिये। और श्रीअमितगतिने ‘जिनेश्वरसमाख्यातं त्रिविधं तद्गुणवतं’ इस वाक्यके द्वारा दिग्विरति, देशविरति और अनर्थदंडविरतिको जो जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ गुणवत बतलाया है उसका आशय प्रायः इतना ही लेना चाहिये कि अमितगति इन व्रतोंको जिनेन्द्रदेवका—महावीर भगवानका—कहा हुआ समझते थे अथवा अपने शिष्योंको इस ढंगसे समझाना उन्हें इष्ट था। इसके सिवाय, यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि महावीर भगवानने ही इन दोनों प्रकारके गुणवतोंका प्रतिपादन किया था। इसी तरह अन्यत्र भी जानना।

वास्तवमें हर एक आचार्य उसी मतका प्रतिपादन करता है जो उसे इष्ट होता है और जिसे वह अपनी समझके अनुसार सबसे अच्छा तथा उपयोगी समझता है। और इस लिये इन

विभिन्न शासनोंको आचार्योंका अपना अपना मत समझना चाहिये। मेरी रायमें ये सब शासन भी, जैसा कि पहले प्रकट किया जा चुका है, पापरोगकी शांतिके नुसखे (Prescriptions) हैं — ओषधिकल्प हैं — जिन्हें आचार्योंने अपने अपने देशों तथा समयोंके शिष्योंकी प्रकृति और योग्यता आदिके अनुसार तथ्यार किया था। और इस लिये सर्व देशों, सर्व समयों और सर्व प्रकारकी प्रकृतिके व्यक्तियोंके लिये अमुक एक ही नुसखा उपयोगी होगा, ऐसा हठ करनेकी ज़रूरत नहीं है। जिस समय और जिस प्रकारकी प्रकृति आदिके व्यक्तियोंके लिये जैसे ओषधिकल्पोंकी ज़रूरत होती है, बुद्धिमान वैद्य, उस समय और उस प्रकारकी प्रकृति आदिके व्यक्तियोंके लिये वैसे ही ओषधिकल्पोंका प्रयोग किया करते हैं। अनेक नये नये ओषधिकल्प गढ़े जाते हैं, पुरानोंमें फेरफार किया जाता है और ऐसा करनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं होती, यदि वे सब रोगशांतिके विरुद्ध न हों। इसी तरहपर देशकालानुसार किये हुए आचार्योंके उपर्युक्त भिन्न शासनोंमें भी प्रायः कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। क्योंकि वे सब जैनसिद्धान्तोंके अविरुद्ध हैं। हाँ, आपेक्षिक दृष्टिसे उन्हें प्रशस्त अप्रशस्त, सुगम दुर्गम, अल्पविषयक बहु-विषयक, अल्पफलसाधक बहुफलसाधक इत्यादि ज़रूर कहा जा सकता है, और इस प्रकारका भेद आचार्योंकी योग्यता और उनके तत्त्वालीन विचारों पर निर्भर है। अस्तु ।

इसी सिद्धान्ताविरोधकी दृष्टिसे यदि आज कोई महात्मा वर्तमान देशकालकी परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर उपर्युक्त शीलताओंमें भी कुछ केरफार करना चाहे और उदाहरणके तौरपर १ क्षेत्र (दिग्ंदेश) -

परिमाण, २ अनर्थदंडविरति, ३ भोगोपभोगपरिमाण, ४ आँख-स्थकतानुत्पादन, ५ अन्तःकरणानुवर्तन, ६ सामायिक और ७ निष्कामसेवा (अनपेक्षितोपकार) नामके सत्तशीलब्रत, अधवा गुणव्रत और शिक्षाब्रत, स्थापित करे तो वह खुशसे ऐसा कर सकता है। उसमें कोई आपत्ति किये जानेकी जरूरत नहीं है और न यह कहा जा सकता है कि उसका ऐसा विधान जिनेंद्रदेवकी आज्ञाके विरुद्ध है अथवा महावीर भगवानके शासनसे बाहर है; क्योंकि उक्त प्रकारका विधान जैनसिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं होता वह सब महावीर भगवानके अनुकूल है। उसे प्रकारान्तरसे जैनसिद्धान्तोंकी व्याख्या अथवा उनका व्यावहारिक तृप्त समझना चाहिये, और इस दृष्टिसे उसे महावीर भगवानका शासन भी कह सकते हैं। परंतु भिन्न शासनोंकी हालतमें महावीर भगवानने यही कहा, ऐसा ही कहा, इसी क्रमसे कहा इत्यादिक मानना मिथ्या होगा और उसे प्रायः मिथ्यादर्शन समझना चाहिये। अतः उससे बचकर यथार्थ वस्तुस्थितिको जानने और उसपर ध्यान रखनेकी कोशिश करनी चाहिये। इसीमें वास्तविक हित संनिहित है। और यह बात पहले भी बतलाई जा चुकी है।

यहाँ श्वेताम्बर आचार्योंकी दृष्टिसे, मैं, इस समय, सिर्फ़ इतना और बतला देना चाहता हूँ कि, श्वेताम्बरसम्प्रदायमें अमतौरपर १ दिग्नंत, २ उपभोगपरिभोगपरिमाण, ३ अनर्थदंडविरति, इन तीनोंको गुणव्रत और १ सामायिक, २ देशावकाशिक, ३ प्रोषधोपवास, ४ अतिथि

१ जरूरतोंको बढ़ने न देना, प्रत्युत घटाना। २ अन्तःकरणकी आवाज़के विरुद्ध न बलना।

संविभाग, इन चारको शिक्षाव्रत माना है*। उनका 'श्रावकप्रज्ञापि' नामक ग्रंथ भी इन्हींका विधान करता है और, 'योगशास्त्र'में, श्रीहेम-चंद्राचार्यने भी इन्हीं व्रतोंका, इसी क्रमसे, प्रतिपादन किया है। तत्त्वार्थसूत्रके टीकाकार 'श्रीसिद्धसेनगणि' और यशोभद्रजी, अपनी अपनी टीकाओंमें, लिखते हैं:—

"गुणव्रतानि त्रीणि दिग्भोगपरिभोगपरिमाणानर्थदंडविरति-संज्ञानि... शिक्षापदव्रतानि सामायिकदेशावकाशिकप्रोपधोपवासा-रिथिसंविभागाख्यानि चत्वारि ।"

इससे भी उक्त व्रतोंका समर्थन होता है। वहिक इन दोनों टीकाकारोंने जिस प्रकारसे उमास्वातिपर आर्षक्रमोलंघनका आरोप लगाकर उसका समाधान किया है, और जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उससे ऐसा मालूम होता है कि इवेताम्ब्रसम्प्रदायके आगमग्रंथोंमें भी, जिन्हें वे गणधर सुधर्मास्वामी आदिके बनाये हुए बतलाते हैं, इन्हीं सब व्रतोंका इसी क्रमसे विधान किया गया है। परंतु उनमें गुणव्रत और शिक्षाव्रतका विभाग भी किया गया है या 'कि नहीं', यह बात अभी संदिग्ध है। क्योंकि 'उपासकदशा' नामके आगम ग्रंथमें, जो द्वादशांगवाणीका सातवाँ अंग कहलाता है, ऐसा कोई विभाग नहीं है। उसमें इन व्रतोंको, उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्र, तत्त्वार्थाधिगमभाष्य और

* ये सब व्रत प्रायः वही हैं जो ऊपर स्वामी समंतभद्राचार्यके शासनमें दिखलाये गये हैं और इस लिये इवेताम्ब्र आचार्योंका शासन, इस विषयमें, प्रायः समंतभद्रके शासनसे मिलता जुलता है। सिर्फ़ दो एक व्रतोंमें, क्रममेद अवश्य है। समंतभद्रने अनर्थदंडविरतिको दूसरे नम्बर पर रखा है और यहाँ उसे तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। इसी तरह शिक्षाव्रतोंमें देशावकाशिको यहाँ पहले नम्बर पर न रखा कर दूसरे नम्बर पर रखा गया है। इसके सिवाय, चौथे शिक्षाव्रतके नाममें भी कुछ परिवर्तन है।

सूक्रकी उक्त दोनों टीकाओंकी तरह, शीलव्रत भी नहीं लिखा, वल्कि सात शिक्षाव्रत वर्तलाया है। यथा:—

“ समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए पंचाणुब्बहयं सत्तसि-
क्षावहयं दुवालसविहं गिहिधम्मं पडिवज्जाहि । ”

इसके सिवाय, ‘अतिथिसंविभाग’ को ‘यथा संविभाग’ व्रत प्रतिपादन किया है। इससे ऐसा मालूम होता है कि श्वेताम्बर सम्प्रदायमें पहले इन ब्रतोंको सात शिक्षाव्रत माना जाता था, बादमें दिगम्बर सम्प्रदाय की तरह इनके गुणव्रत और शिक्षाव्रत ऐसे दो विभाग किये गये हैं। साथ ही, इन्हें ‘शील’ संज्ञा भी दी गई है। इसी तरह यथा-संविभागके स्थानमें बादको अतिथिसंविभागका परिवर्तन किया गया है। संभव है कि इस बादके संपूर्ण परिवर्तनको कुछ आचार्योंने स्वीकार किया हो और कुछने स्वीकार न किया हो। और यह भी संभव है कि दूसरे आगमप्रधानोंमें पहले हीसे गुणव्रत और शिक्षाव्रतके व्यपदेशको लिये हुए इन ब्रतोंका शीलव्रतरूपसे विधान हो और चौथे शिक्षाव्रतका नाम अतिथिसंविभाग ही दिया हो। परंतु इस पिछली बातकी संभावना बहुत ही कम—प्रायः नहींके बराबर—जान पड़ती है; क्योंकि श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रोट विद्वान हरिभद्रसूरिने, ‘श्रावकप्रज्ञति’ की टीकामें ‘विचित्रत्वाच्च देशविरतेः’ नामका जो वाक्य दिया है, और जो ‘अष्ट मूलगुण’ नामक प्रकरणमें उद्धृत किया जा चुका है, उससे यह साफ ध्वनित होता है कि ‘उपासकदशा’से भिन्न श्वेताम्बरोंके दूसरे आगमप्रधानोंमें देशविरति (श्रावक) की कोई विशेष विधि नहीं है। इसीसे हरिभद्रसूरि देशविरतिकी विधिको ‘विचित्र’ तथा ‘अनियमित’ बतलाते हैं और उसे अपनी बुद्धिसे पूरा करनेकी अनुमति देते हैं। इत्यलँम् ।

सरसावा जि० सहारनपुर }
ता० ११ जून, सन् १९२० }, ऊगलकिशोर मुख्तार

परिशिष्ट

(क)

जैनतीर्थकरोंका शासनभेद

जैनसमाजमें, श्रीवद्वकेराचार्यका बनाया हुआ 'मूलाचार' नामका एक यत्याचार-विषयक प्राचीन ग्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। मूल ग्रन्थ प्राकृत-भाषामें है, और उसपर व्रसुनन्दी सैद्धान्तिककी बनाई हुई 'आचार-वृत्ति' नामकी एक संस्कृत टीका भी पाई जाती है। इस ग्रन्थमें, सामायिकका वर्णन करते हुए, प्रन्थकर्ता महोदय लिखते हैं:—

बावीसं तित्थयरा सामाइयं संजमं उवदिसंति ।

छेदोवहावणियं पुण भयवं उसहो य वीरो य ॥ ७-३२ ॥

अर्थात्—अजितसे लेकर पार्वनाथ पर्यन्त बाईस तीर्थकरोंने 'सामायिक' संयमका और ऋषभदेव तथा महावीर भगवानने 'छेदोपस्थापना' संयमका उपदेश दिया है।

यहाँ मूल गाथामें दो जगह 'च' (य) शब्द आया है। एक चकारसे परिहारविशुद्धि आदि चारित्रिका भी ग्रहण किया जा सकता है। और तब यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋषभदेव और महावीर भगवानने सामायिकादि पाँच प्रकारके चारित्रिका प्रतिपादन किया है, जिसमें छेदोपस्थापनाकी यहाँ प्रधानता है। शेष बाईस तीर्थकरोंने केवल सामायिक चारित्रिका प्रतिपादन किया है। अस्तु। आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोंने छेदोपस्थापन संयमका प्रतिपादन क्यों किया है? इसका उत्तर आचार्यमहोदय आगेकी दो गाथाओंमें इस प्रकार देते हैं:—

आचकिखदुं विभजिदुं विष्णादुं चावि सुहदरं होदि ।

एदेण कारणे दु महव्वदा पंच पण्णता ॥ ३३ ॥

आदीए दुविसोधो णिहणे तह सुहु दुरणुपालेया ।

पुरिमा य पच्छिमा वि हु कप्पाकप्पं ण जाणंति ॥ ३४ ॥

टीका—“.....येत्प्रादन्यसमै प्रतिपादयितुं स्वेच्छानुष्ठानुं विभक्तुं विज्ञानुं चापि भवति सुखतरं सामायिकं तेन कारणेन महाव्रतानि पंच प्रज्ञसानीति ॥ ३३ ॥”
“ आदितीर्थे शिष्या दुःखेन शोध्यन्ते सुष्ठु ऋजुस्वभावा यतः । तथा च पश्चिमतीर्थे शिष्या दुःखेन प्रतिपाल्यन्ते सुष्ठु वक्तस्वभावा यतः । पूर्वकालशिष्याः पश्चिम-कालशिष्याश्च अपि स्फुरं कलं योगयं अकलं अयोगयं न जानन्ति यतस्तत आदौ निधने च छेदोपस्थापनमुपदिशत इति ॥ ३४ ॥”^१

अर्थात्—पांच महाव्रतों (छेदोपस्थापना)का कथन इस वजहसे किया गया है कि इनके द्वारा सामायिकका दूसरोंको उपदेश देना, स्वयं अनुष्ठान करना, पृथक पृथक रूपसे भावनामें लाना और सविशेषरूपसे समझना सुगम हो जाता है । आदिम तीर्थमें शिष्य मुक्तिकल्से शुद्ध किये जाते हैं; क्योंकि वे अतिशय सरलस्वभाव होते हैं । और अन्तिम तीर्थमें शिष्यजन कठिनतासे निर्वाह करते हैं; क्योंकि वे अतिशय वक्तस्वभाव होते हैं । साथ ही, इन दोनों समयोंके शिष्य स्पष्टरूपसे योग अयोग्यको नहीं जानते हैं । इसलिये आदि और अन्तके तीर्थमें इस छेदोपस्थापनाके उपदेशकी ज़रूरत पैदा हुई है ।

यहाँपर यह भी प्रकट कर देना चर्खरी है कि छेदोपस्थापनामें हिंसादिकके भेदसे समस्त सावधकर्मका त्याग किया जाता

^१ इससे पहले, टीकामें, गाथाका शब्दार्थ मात्र दिया है ।

है॥। इसलिये छेदोपस्थापनाकी 'पंचमहाव्रत' संज्ञा भी है, और इसी लिये आचार्यमहोदयने गाथा नं० ३३में छेदोपस्थापनाका 'पंचमहाव्रत' शब्दोंसे निर्देश किया है । अस्तु । इसी ग्रन्थमें, आगे 'प्रतिक्रमण' का वर्णन करते हुए, श्रीवट्टकेरत्वामीने यह भी लिखा है:—

सपडिकमणो धम्मो पुरिमस्स य पञ्चमस्स जिणस्स ।
अवराहपडिकमणं मज्जमयाणं जिणवराणं ॥ ७-१२५ ॥

* 'तत्त्वार्थाराजवार्तिं'में भट्टाकलंकदेवने भी छेदोपस्थापनाका ऐसा ही स्वरूप प्रतिपादन किया है । यथा:—

"सावद्यं कर्म हिंसादिभेदेन विकल्पनिवृत्तिः छेदोपस्थापना ।"

इसी ग्रन्थमें अकलंकदेवने यह भी लिखा है कि सामायिककी अपेक्षा व्रत एक है और छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा उसके पाँच भेद हैं । यथा:—

"सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एकं व्रतं, भेदपरतंत्र-
च्छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधं व्रतम् ।"

श्रीपूज्यपादाचार्यने भी 'सर्वार्थसिद्धि' में ऐसा ही कहा है । इसके सिवाय, श्रीचीरनन्दी आचार्यने, 'आचारसार' ग्रन्थके पाँचवें अधिकारमें, छेदोपस्थापनाका जो निम्न स्वरूप वर्णन किया है उससे इस विषयका और भी स्पष्टीकरण हो जाता है । यथा:—

व्रतसमितिगुस्तिःः पंच पंच त्रिभिर्मृतैः ।

छेदैभेदैरुपेत्यार्थं स्थापनं स्वस्थितिक्रिया ॥ ६ ॥

छेदोपस्थापनं प्रोक्तं सर्वसावद्यवर्जने ।

व्रतं हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मसंगेव्वसंगमः ॥ ७ ॥

अर्थात्—पाँच व्रत, पाँच समिति और तीन गुस्ति नामके छेदों-भेदोंके द्वारा अर्थको प्राप्त होकर जो अपने आंतमामें स्थिर होने रूप किया है उसको छेदोपस्थापना या छेदोपस्थापन कहते हैं । समस्त सावद्यके त्यागमें छेदोपस्थापनाको र्हिंसा, दृढ़, चोरी, मैथुन (अव्रज्ञ) और परिग्रहसे विरति रूप व्रत कहा है ।

जावे हु अप्पणो वा अप्पदरे वा भवे अदीचारो ।
तावे हु पडिक्कमणं मञ्जिमयाणं जिणवराणं ॥ १२६ ॥

इरियागोयरसुमिणादि सञ्चमाचरदु मा व आचरदु ।

पुरिमचरिमा दु सञ्चे सञ्चे णियमा पडिक्कमदि ॥ १२७ ॥

अर्थात्—पहले और अन्तिम तीर्थकरका धर्म, अपराधके होने और न होनेकी अपेक्षा न करके, प्रतिक्रमण-सहित प्रवर्त्तता है । पर मध्यके बाईस तीर्थकरोंका धर्म अपराधके होनेपर ही प्रतिक्रमणका विधान करता है । क्योंकि उनके समयमें अपराधकी बहुलता नहीं होती । मध्यवर्ती तीर्थकरोंके समयमें जिस व्रतमें अपने या दूसरोंके अतीचार लगता है उसी व्रतसम्बन्धी अतीचारके विषयमें प्रतिक्रमण किया जाता है । विपरीत इसके, आदि और अन्तके तीर्थकरों (ऋषभदेव और महानीर) के शिष्य ईर्या, गोचरी और स्वप्रादिसे उत्पन्न हुए समस्त अतीचारोंका आचरण करो अथवा भत करो उन्हें समस्त प्रतिक्रमण-दण्डकोंका उच्चारण करना होता है । आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोंके शिष्योंको क्यों समस्त प्रतिक्रमण-दण्डकोंका उच्चारण करना होता है और क्यों मध्यवर्ती तीर्थकरोंके शिष्य वैसा आचरण नहीं करते ? इसके उत्तरमें आचार्यमहोदय लिखते हैं:—

मञ्जिमया दिढुद्धी एंगगमणा अमोहलक्खा य ।

तम्हा हु जमाचरंति तं गरहंता विसुज्ज्ञंति ॥ १२८ ॥

पुरिमचरमा दु जम्हा चलचित्ता चेव मोहलक्खा य ।

तो सञ्चपडिक्कमणं अंधलयघोडयदिढंतो ॥ १२९ ॥

अर्थात्—मध्यवर्ती तीर्थकरोंके शिष्य विस्मरणशीलतारहित दृढुद्धि, स्थिरचित्त और मूढतारहित परीक्षापूर्वक कार्य करनेवाले होते हैं । इस

लिये प्रकटरूपसे वे जिस दोषका आचरण करते हैं उस दोषमें आत्म-निन्दा करते हुए शुद्ध हो जाते हैं। पर आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोंके शिष्य चलचित्त, विस्मरणशील और मूढ़मना होते हैं—शास्त्रका बहुत बार प्रतिपादन करने पर भी उसे नहीं जान पाते। उन्हें क्रमशः श्रृङ्खला और वक्रजड़ समझना चाहिये—इसलिये उनके समस्त प्रतिक्रमणदण्डकोंके उच्चारणका विधान किया गया है और इस विषयमें अन्ये घोड़ेका दृष्टान्त बतलाया गया है। टीकाकारने इस दृष्टान्तका जो स्पष्टीकरण किया है उसका भावार्थ इस प्रकार है—

‘किसी राजाका घोड़ा अन्धा हो गया। उस राजाने वैद्यपुत्रसे घोड़ेके लिये ओषधि पूछी। वह वैद्यपुत्र वैद्यक नहीं जानता था, और वैद्य किसी दूसरे ग्राम गया हुआ था। अतः उस वैद्यपुत्रने घोड़ेकी आँखको आराम पहुँचानेवाली समस्त ओषधियोंका प्रयोग किया और उनसे वह घोड़ा नीरोग हो गया। इसी तरह साधु भी एक प्रतिक्रमण-दण्डकमें स्थिरचित्त नहीं होता हो तो दूसरेमें होगा, दूसरेमें नहीं तो तीसरेमें, तीसरेमें नहीं तो चौथेमें होगा, इस प्रकार सर्वप्रतिक्रमण-दण्डकोंका उच्चारण करना न्याय है। इसमें कोई विरोध नहीं है; क्योंकि सब ही प्रतिक्रमण-दण्डक कर्मके क्षय करनेमें समर्थ हैं।

मूलाचारके इस सम्पूर्ण कथनसे यह बात स्पष्टतया विदित होती है कि समस्त जैनतीर्थकरोंका शासन एक ही प्रकारका नहीं रहा है। बल्कि समयकी आवश्यकतानुसार—लोकस्थितिको देखते हुए—उसमें कुछ परिवर्तन जूँकर होता रहा है। और इसलिये जिन लोगोंका ऐसा खयाल है कि जैनतीर्थकरोंके उपदेशमें परस्पर रंचमात्र भी भेद या परिवर्तन नहीं होता—जो वचनवर्गणा एक तीर्थकरके मुँहसे

खिरती है वही जँची तुली दूसरे तीर्थकरके मुँहसे निकलती है, उसमें जरा भी फेरफार नहीं होता—वह खयाल निर्मल जान पड़ता है। शायद ऐसे लोगोंने तीर्थकरोंकी बाणीको फोनोप्राफ़के रिकार्डोंमें भरे हुए मज़मूनके सदृश समझ रखा है॥ परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। ऐसे लोगोंको मूलाचारके उपर्युक्त कथनपर खूब ध्यान देना चाहिये।

पं० आशाधरजीने भी, अपने 'अनगारधर्मामृत' ग्रन्थ और उसकी स्वोपज्ञ-टीकामें, तीर्थकरोंके इस शासनभेदका उल्लेख किया है। जैसा कि आपके निम्नवाक्योंसे प्रकट है:—

"आदिमान्तिमतीर्थकावेव व्रतादिभेदेन सामायिकमुपदिशतः स्म नाऽजितादयो द्वाविंशतिरिति सहेतुकं व्याचषे—

दुःशोधमृजुजडैरिति पुरुरिव वीरोऽदिशद्रतादिभिदा ।

दुष्पालं वक्रजडैरिति साम्यं नापरे सुपदुशिष्याः ॥ ९-८७ ॥

टीका—अदिशदुपदिष्टवान् । कोऽसी ? वीरोऽन्तिमतीर्थकरः । किं तत् ? साम्यं सामायिकाव्यं चारित्रम् । कथा ? व्रतादिभिदा व्रतसमितिगुप्तिभेदेन । कुतो हेतोः ? इति । किमिति ? भवति । किं तत् ? साम्यम् । कीदृशम् ? दुष्पालं पालयितुमशक्यम् । कैः ? वक्रजडैरर्नार्जवजाङ्घोपेतैः शिष्यैर्भेति । क इव ? पुरुरिव । इव शब्दो यथार्थः । यथा पुरुरादिनाथः साम्यं व्रतादिभिदाऽदिशत् । कुतो हेतोः ? इति । किमिति ? भवति । किं तत् ? साम्यं । कीदृशम् ? दुःशोधं शोधयितुमशक्यम् । कैः ? ऋजुजडैरर्नार्जवजाङ्घोपेतैः शिष्यैर्भेति । तथाऽपरेऽजितादयो द्वाविंशतिस्तीर्थकरा व्रतादिभिदा साम्यं नादिशन् । साम्यमेव व्रतसमिति कथयन्ति स्म स्वशिष्याणामग्रे । कीदृशास्ते ? सुपदुशिष्याः यतः ऋजुवक्रजडत्वाभावात् सुष्ठु पटबो व्युत्पन्नतमाः शिष्या येपां त एवम् ॥"

“निन्दागहर्लोचनाभियुक्तो युक्तेन चेतसा ।

पठेद्वा शृणुयाच्छुद्धयै कर्ममान् नियमान् समान् ॥८-६२॥

टीका—पठेदुचरेत् साधुः शृणुयाद्वा आचार्यादिभ्य आकर्णयेत् । कान् ? नियमान् प्रतिक्रमणदण्डकान् । किंविशिष्टान् ? समान् सर्वान् ।.....इदमत्र तात्पर्य, यस्मादैदंयुगीना दुःखमाकालानुभावाद्वक्जडीभूताः स्वयमपि हृतं ब्रताद्यतिचारं न स्मरन्ति चलचित्तत्वाचात्कृत्प्रायशोपराघ्यन्ति तत्सादीर्यादिषु दोषो भवतु वा मा भवतु तैः सर्वातिचारविशुद्धर्थं सर्वे प्रतिक्रमणदण्डकाः प्रयोक्तव्याः । वेष्ट यत्र क्वचिचित्तं स्थिरं भवति तेन सर्वोऽपि दोषो विशोध्यते । ते हि सर्वोऽपि कर्मघातसमर्थाः । तथा चीक्षम्—

* सप्रतिक्रमणो धर्मो जिनयोरादिमान्त्ययोः ।
अपराधे प्रतिक्रान्तिर्मध्यमानां जिनेशिनाम् ॥
यदोपजायते दोष आत्मन्यन्यतरञ्च वा ।
तदैव स्यात्प्रतिक्रान्तिर्मध्यमानां जिनेशिनाम् ॥
ईर्यांगोचरदुःस्वप्रभृतौ चर्ततां न वा ।
पौरस्त्यपथिमाः सर्वे प्रतिक्रामन्ति निष्ठितम् ॥
मध्यमा एकचित्ता यदमूढदृढबुद्धयः ।
आत्मनानुष्ठितं तस्माद्रह्ममाणाः सृजन्ति तम् ॥
पौरस्त्यपथिमा यस्मात्समोहाश्वलचेतसः ।
ततः सर्वे प्रतिक्रान्तिरन्धोऽश्वोऽत्र निर्दर्शनम् ॥”

और श्रीपूज्यपादाचार्यने, अपनी ‘चारित्रमक्ति’ में, इस विषयका एक पद निष्प्रकारसे दिया है:—

* ये पाँचों पद, जिन्हें पं० आशाधरजीने अपने कथनके समर्थनमें उद्धृत किया है, विक्रमकी आयः १३ वीं शताब्दीसे पहलेके बने हुए किंची प्राचीन श्रंथके पद हैं । इनका सब आशय क्रमशः वही है जो मूलाचारकी उच्च गाथा नं० १२५से १२९का है । इन्हें उक्त गाथाओंकी छाया न कहकर उनका पदानुवाद कहना चाहिये ।

तिस्रः सत्तमगुप्तस्तनुमनोभापानिमित्तोदयाः
पंचर्यादिसमाश्रयाः समितयः पंचवतानीत्यपि ।
चारित्रोपहितं त्रयोदशतयं पूर्वं न दिष्टं परै-

राचारं परमेष्ठिनो जिनपतेवीरान्नमामो वयम् ॥ ७ ॥

इसमें कायादि तीन गुप्ति, ईर्यादि पंच समिति और अहिंसादि पंच महावतरूपसे त्रयोदश प्रकारके चारित्रिको 'चारित्राचार' प्रतिपादन करते हुए उसे नमस्कार किया है और साधही यह बतलाया है कि 'यह तेरह प्रकारका चारित्र महावीर जिनेन्द्रसे पहलेके दूसरे तीर्थकरोंद्वारा उपदिष्ट नहीं हुआ है'—अर्थात्, इस चारित्रिका उपदेश महावीर भगवान्ने दिया है, और इसलिये यह उन्हींका खास शासन है। यहाँ 'वीरात् पूर्वं न दिष्टं परैः' शब्दों परसे, यद्यपि, यह स्पष्ट धनि निकलती है कि महावीर भगवान्से पहलेके किसी भी तीर्थकरने—ऋपभदेवने भी—इस तेरह प्रकारके चारित्रिका उपदेश नहीं दिया है, परन्तु टीकाकार प्रभाचन्द्राचार्यने 'परैः' पदके वाच्यको भगवान् 'अजित' तक ही सीमित किया है—ऋपभदेव तक नहीं। अर्थात्, यह सुझाया है कि—पार्श्वनाथसे लेकर अजितनाथपर्यंत पहलेके वाईस तीर्थकरोंने इस तेरह प्रकारके चारित्रिका उपदेश नहीं दिया है—उनके उपदेशका विषय एक प्रकारका चारित्र (सामायिक) ही रहा है—यह तेरह प्रकारका चारित्र श्रीवर्धमान महावीर और आदिनाथ (ऋपभदेव)के द्वारा उपदेशित हुआ है। जैसा कि आपकी टीकाके निम्न अंशसे प्रकट है:—

"परैः अन्यतीर्थकरैः । कस्मात्परैः ? वीरादन्यतीर्थकरात् । किंविशिष्टात् ? जिनपतेः..... । परैरजितादिभिर्जिननाथैत्योदशभेदमित्रं चारित्रं न कथितं सर्वसावद्यविरतिलक्षणमेकं चारित्रं तैर्विनिर्दिष्टं तत्कालीनशिष्याणां कुञ्ज-वक्षजडमतित्वाभावात् । वर्धमानस्वामिना तु वक्षजडमतिभव्याशयवशात् आदि-देवेन तु कुञ्जजडमतिविनेयवशात् त्रयोदशविधं निर्दिष्टं आचारं नमामो वयम् । "

संभव है कि 'पैरैः' पदकी इस सीमाके निर्धारित करनेका उद्देश्य मूलाचारके साथ पूज्यपादके इस कथनकी संगतिको ठीक बिठ्ठाना रहा हो । परन्तु वास्तवमें यदि इस सीमाको न भी निर्धारित किया जाय और यह मान लिया जाय कि ऋषभदेवने भी इस त्रयोदशाविधरूपसे चारित्रिका उपदेश नहीं दिया है तो भी उसका मूलाचारके साथ कोई विरोध नहीं आता है । क्योंकि यह हो सकता है कि ऋषभदेवने पंचमहाव्रतोंका तो उपदेश दिया हो—उनका छेदोपस्थापना संयम अहिंसादि पंचभेदात्मक ही हो—किन्तु पंचसमितियों और तीन गुणियोंका उपदेश न दिया हो, और उनके उपदेशकी ज़खरत भगवान् महावीरको ही पड़ी हो । और इसी लिये उनका छेदोपस्थापन संयम इस तेरह प्रकारके चारित्रभेदको लिये हुए हो, जिसकी उनके नामके साथ खास प्रसिद्धि पाई जाती है । परन्तु कुछ भी हो, ऋषभदेवने भी इस तेरह प्रकारके चारित्रिका उपदेश दिया हो या न दिया हो, किन्तु इसमें तो सन्देह नहीं कि शेष बाईंस तीर्थकरोंने उसका उपदेश नहीं दिया है ।

यहाँपर इतना और भी बतला देना जरूरी है कि भगवान् महावीरने इस तेरह प्रकारके चारित्रमेंसे दस प्रकारके चारित्रको—पंचमहाव्रतों और पंचसमितियोंको—मूलगुणोंमें स्थान दिया है । अर्थात्, साधुओंके अद्वाईंस* मूलगुणोंमें दस सूलगुण इन्हें करार दिया है ।

* अद्वाईंस मूलगुणोंके नाम इसप्रकार हैं:—

१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य, ५ अपरिग्रह (ये पाँच महाव्रत); ६ ईर्यां, ७ भाषा, ८ एषणा, ९ आदाननिक्षेपण, १० प्रतिष्ठापन, (ये पाँच समिति); ११-१५ स्पर्शन-रसन-प्राण-चक्षु-थोत्र-निरोध (ये पाँचेद्विनिरोध); १६ सामायिक, १७ स्तव, १८ वन्दना, १९ प्रतिक्रमण, २० प्रत्याख्यान,

तब यह स्पष्ट है कि श्रीपार्वतीनाथादि दूसरे तीर्थकरोंके मूलगुण भगवान् महावीरद्वारा प्रतिपादित मूलगुणोंसे भिन्न थे और उनकी संख्या भी अटाईस नहीं हो सकती—दसकी संख्या तो एकदम कम हो ही जाती है; और भी किन्तने ही मूलगुण इनमें ऐसे हैं जो उस समयके शिष्योंकी उक्त स्थितिको देखते हुए अनावश्यक प्रतीत होते हैं। वास्तवमें मूलगुणों और उत्तरगुणोंका सारा विधान समयसमयके शिष्योंकी योग्यता और उन्हें तत्त्वाकलीन परिस्थितियोंमें सन्मार्गपर स्थिर रख सकनेकी आवश्यकतापर अवलभित्ति रहता है। इस दृष्टिसे जिस समय जिन व्रतनियमादिकोंका आचरण सर्वोपरि मुख्य तथा आवश्यक जान पड़ता है उन्हें मूलगुण करार दिया जाता है और शेषको उत्तरगुण। इसीसे सर्व समयोंके मूलगुण कभी एक प्रकारके नहीं हो सकते। किसी समयके शिष्य संक्षेपप्रिय होते हैं अथवा थोड़में ही समझ लेते हैं और किसी समयके विस्तारलुचिवाले अथवा विशेष खुलासा करनेपर समझनेवाले। कभी लोगोंमें क्रज्जुजड़ताका अधिक संचार होता है, कभी वक्रजड़ताका और कभी इन दोनोंसे अतीत अवस्था होती है। किसी समयके मनुष्य स्थिरंचित, दृढ़जुद्धि और वलचान होते हैं और किसी समयके चलचित्त, विस्मरणशील और निर्वल। कभी लोकमें मूढ़ता बढ़ती है और कभी उसका न्हास होता है। इस लिये जिस समय जैसी जैसी प्रकृति और योग्यताके शिष्योंकी—उपदेशपात्रोंकी—घड़ुलता होती है उस उस वक्तकी जनताको लक्ष्य करके तीर्थकरोंका उसके उपयोगी वैसा ही उपदेश तथा वैसा ही व्रत-नियमादिकका विधान होता है।

२१ कायोत्सर्ग (ये पठावश्यक किया); २२ लोच, २३ आचेलक्ष्य, २४ अस्तान, २५ भूशयन, २६ अदन्तधर्षण, २७ स्थितिभोजन, और २८ एकभक्त।

उसीके अनुसार मूलगुणोंमें भी हेरफेर हुआ करता है। परंतु इस भिन्न प्रकारके उपदेश, विधान या शासनमें परस्पर उद्देश्य-भेद नहीं होता। समस्त जैनतीर्थकरोंका वही मुख्यतया एक उद्देश्य ‘आत्मासे कर्म-मलको दूर करके उसे शुद्ध, सुखी, निर्दोष और स्वाधीन बनाना’ होता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि संसारी जीवोंको संसाररोग दूर करनेके मार्गपर लगाना ही जैनतीर्थकरोंके जीवनका प्रधान लक्ष्य होता है। अस्तु। एक रोगको दूर करनेके लिये जिस प्रकार अनेक ओषधियाँ होती हैं और वे अनेकप्रकारसे व्यवहारमें लाई जाती हैं; रोग-शांतिके लिये उनमेंसे जिसवक्त जिस ओषधिको जिसविधिसे देनेकी ज़रूरत होती है वह उसवक्त उसी विधिसे दी जाती है—इसमें न कुछ विरोध होता है और न कुछ बाधा आती है। उसी प्रकार संसाररोग या कर्मरोगको दूर करनेके भी अनेक साधन और उपाय होते हैं, जिनका अनेक प्रकारसे प्रयोग किया जाता है। उनमेंसे तीर्थकर भगवान् अपनी-अपनी समयकी स्थितिके अनुसार जिस जिस उपायका जिस जिस रीतिसे प्रयोग करना उचित समझते हैं उसका उसी रीतिसे प्रयोग करते हैं। उनके इस प्रयोगमें किसी प्रकारका विरोध या बाधा उपस्थित होनेकी संभावना नहीं हो सकती। इन्हीं सब बातोंपर मूलाचारके विद्वान् आचार्यमहोदयने, अपने ऊपर उल्लेख किये हुए वाक्योंद्वारा, अच्छा प्रकाश डाला है और अनेक युक्तियोंसे जैनतीर्थकरोंके शासन-भेदको भलेप्रकार प्रदर्शित और सूचित किया है। इसके सिवाय, दूसरे विद्वानोंने भी इस शासनभेदको माना तथा उसका समर्थन किया है, यह और भी विशेषता है*।

* इवेताम्बरग्रन्थोंमें भी जैनतीर्थकरोंके शासन-भेदका उल्लेख मिलता है, जिसके कुछ अवतरण परिशिष्ट (ख)में दिये गये हैं।

आशा है इस लेखको पढ़कर सर्वसाधारण जैनीभाई, सत्यान्वेषी और अन्य ऐतिहासिक विद्वान् ऐतिहासिक क्षेत्रमें कुछ नया अनुमति प्राप्त करेंगे और साथ ही इस वातकी खोज लगायेंगे कि जैनतीर्थकरोंके शासनमें और किन किन वातोंका परस्पर भेद रहा है ।

जुगलकिशोर मुख्तार



परिशिष्ट (ख)

श्वेताम्बरोंके यहाँ भी जैनतीर्थकरोंके शासनभेदका कितना ही उल्लेख मिलता है, जिसके कुछ नमूने इसप्रकार हैं:—

(१) 'आवश्यकनिर्युक्ति'में, जो भद्रवाहु श्रुतकेवलीकी रचना कही जाती है, दो गाथाएँ निम्नप्रकारसे पाई जाती हैं—

सपाडिकमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स ।

मञ्ज्ञमयाण जिणाणं कारणजाए पडिकमणं ॥ १२४४ ॥

वावीसं तित्ययरा सामाइयसंजमं उवइसंति ।

छेओवहावणयं पुण वयन्ति उसभो य वीरो य ॥ १२४६ ॥

ये गाथाएँ साधारणसे पाठभेदके साथ, जिससे कोई अर्थभेद नहीं होता, वे ही हैं जो 'मूलाचार'के ७ वें अध्यायमें क्रमशः नं० १२५ और ३२ पर पाई जाती हैं । और इसलिये, इस विषयमें, निर्युक्तिकार और मूलाचारके कर्ता श्रीवट्टकेराचार्य दोनोंका मत एक जान पड़ता है ।

¹ 'कारणाजाते' अपराध एकोत्पन्ने सति प्रतिक्रमणं भवति—इति हरिभद्रः ।

(२) 'उत्तराध्ययनसूत्र' में 'केशि-गौतम-संवाद' नामका एक प्रकरण (२३ वाँ अध्ययन) है, जिसमें सबसे पहले पार्थिनाथके शिष्य (तीर्थशिष्य) केशी स्वामीने महावीर-शिष्य गौतम गणधरसे दोनों तीर्थकरोंके शासनभेदका कुछ उल्लेख करते हुए उसका कारण दर्यापृष्ठ किया है और यहाँतक पूछा है कि धर्मकी इस द्विविध प्रखण्डणा अथवा मतभेद पर क्या तुम्हें कुछ अविश्वास या संशय नहीं होता है ? तब गौतम-स्वामीने उसका समाधान किया है। इस संवादके कुछ वाक्य (भाव-विजयगणीकी व्याख्यासहित) इसप्रकार हैं:—

चाउज्जामो अ जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्षिखओ ।
देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥ २३ ॥

व्याख्या—चतुर्यामो हिंसानृतस्तेयपरिग्रहोपरमात्मकव्रतचतुष्करूपः, पंचशिक्षितः स एव मैथुनविरतिरूपपञ्चमहाव्रतान्वितः ॥ २३ ॥

एककर्जपवन्नाणं, विसेसे किं तु कारणं ।

धम्मे दुविहे मेहावी ! कहं विप्पच्छओ न ते १ ॥ २४ ॥

व्याख्या:—‘धम्मेति’ इत्यं धर्मं साधुधर्मं द्विविधे हे मेधाविन् कर्थं विप्रत्ययः अविश्वासो न ते तव ? तुल्ये हि सर्वज्ञत्वे किं कृतोऽयं मतभेदः ? इति ॥ २४ ॥ एवं तेनोक्ते—

तओ केसिं बुवंतं तु, गोआमो इणमव्यवी ।

पण्णा समिक्खण धम्मं-तत्तं तत्तविणिच्छयं ॥ २५ ॥

व्याख्या—‘बुवंतं त्रुतिं’ ब्रुवन्तमेवाऽनेनादरातिशयमाह, प्रज्ञाबुद्धिः समीक्ष्यते पश्यति, किं तदित्याह—‘धम्मं-तत्तंति’ विन्दोर्लोपे धर्मतत्त्वं धर्मपरमार्थं, तत्त्वानां जीवादीनां विनिधयो यस्मात्तत्त्वा, अयं भावः—न वाक्यश्रवणमात्रादेवार्थनिर्णयः स्यात्किन्तु प्रज्ञावशादेव ॥ २५ ॥ त्रतश्च—

पुरिमा उज्जुज्जडा उं, वक्कजडा य पच्छिमा ।

मज्जिमा उज्जुपणा उ; तेण धम्मे दुहा केए ॥ २६ ॥

व्याख्या—‘पुरिमत्ति’ पूर्वे प्रथमजिनसुनयः कङ्गवद्ध प्रांजलतया जडाय दुष्प्रज्ञाप्यतया कङ्गुजडाः, ‘तु’ इति यस्मादेतोः वकाश चक्रप्रकृतित्वाज्जटाश निजानेक्कुचिकल्पैः विवक्षितार्थावगमाक्षमत्वाद्वक्षजडाः, चः सनुशये, पश्चिमाः पश्चिमजिनतनयाः । मध्यमास्तु मध्यमाहतां साधवः, कङ्गवद्ध ते प्रज्ञाश सुबोध-र्वेन कङ्गुप्रज्ञाः । तेन हेतुना धर्मो द्विधा कृतः । एककार्यप्रपञ्चत्वंपि इति प्रक्रमः ॥२६॥ यदि नाम पूर्वादिसुनीनामीदशतं, तथापि कथमेतद्द्वैविध्यनित्याह—

पुरिमाणं दुविसोज्ज्ञो उ, चरिमाणं दुरण्पालओ ।

कप्पो मञ्ज्ञामगाणं तु, सुविसोज्ज्ञो सुपालओ ॥ २७ ॥

व्याख्या—पूर्वेणां दुःखेन विशेषो निर्मलतां नेतुं शक्यो दुर्विशेष्यः, कल्प-इति योज्यते, ते हि कङ्गुजडत्वेन गुरुणानुशिष्यमाणा अपि न तद्वाक्यं सम्बन्धव-चोद्ध प्रभवन्तीति तुः पूर्तौ । चरमाणां दुःखेनानुपाल्यते इति दुरुपालः स एव दुरुपालः कल्पः साध्वाचारः । ते हि कथंचिज्ञानन्तोऽपि कङ्गजडत्वेन न यथा-वद्गुणातुमीशते । मध्यमकानां तु विशेष्यः सुपालकः कल्प इतीहापि योज्यं, ते हि कङ्गुप्रज्ञत्वेन सुखेनव यथावज्जानन्ति पालयन्ति च अतस्ते चतुर्यामोक्तावपि पंचममपि यामं ज्ञातुं पालयितुं च क्षमाः । यदुकं—“नो अपरिग्गहिभाए, इत्यीए जेण होइ परिभोगो । ता तविरहेइ चिअ, अवंभविरहिति पण्णाण ॥ १ ॥ इति तदपेक्षया श्रीपार्श्वस्वामिना चतुर्यामो धर्मे उक्तः पूर्वपश्चिमास्तु नेदशा इति श्रीकृष्णभश्रीकीरत्स्वामिभ्यां पंचव्रतः । तदेवं विचित्रप्रज्ञविनेयानुप्राहाय धर्मस्य द्वैविध्यं न तु तात्त्विकं । आद्यजिनकथनं चेह प्रसंगादेति सूत्रपंचकार्यः ॥ २७ ॥

इस संवादकी २६ वीं और २७ वीं गाथामें शासनभेदका जो कारण वतलाया गया है—भेदमें कारणीभूत तत्त्वालीन शिष्योंकी जिस परिस्थिति-विशेषका उल्लेख किया गया है—वह सब वही है जो मुलाचारादि दिग्म्बर अंगोंमें वर्णित है। वाकी, पार्श्वनाथके ‘चतुर्याम’ धर्मका जो यहाँ उल्लेख किया गया है उसका आशय यदि वही है जो टीकाकारने अहिंसादि चार व्रतरूप वतलाया है, तो वह दिग्म्बर सम्प्रदायके कथनसे कुछ भिन्न जान पड़ता है।

(३) ‘प्रज्ञापनासूत्र’ की मलयगिरि-टीकामें भी तीर्थकरोंके शासन भेदका कुछ उल्लेख मिलता है । यथा:—

“यद्यपि सर्वमपि चारित्रमविशेषतः सामायिकं तथापि छेदादिविशेषैर्विशिष्य-
माणमर्थतः शब्दान्तरतश्च नानात्वं भजते, प्रथमं पुनरविशेषणात् सामान्यशब्द
एवावतिष्ठते सामायिकमिति तच्च द्विधा—इत्वरं यावत्कथिकं च, तत्रेत्वरं भरतैरावतेषु
प्रथमपश्चिमतीर्थकरतीर्थेष्वानारोपितमहाव्रतस्य शैक्षकस्य विज्ञेयं, यावत्कथिकं च
ग्रन्त्याप्रतिपत्तिकालादारभ्याप्राणोपरमात्, तच्च भरतैरावतभाविमध्यद्वार्विशतितीर्थ-
करतीर्थान्तरगतानां विदेहतीर्थकरतीर्थान्तरगतानांच साधूनामवसेयं तेषामुपस्थाप-
नाया अभावात् । उक्तं च—

सर्वमिणं सामाइय छेयाइविसेसियं पुण विभिन्नं ।

आविसेसं सामाइय ठियमिह सामन्नसन्नाप ॥ १ ॥

सावज्जाजोगविरह त्ति तत्थ सामाइयं दुहा तं च ।

इत्तरमावकहं ति य पढमं पढमंतिमजिणाणं ॥ २ ॥

तित्थेषु अणारोवियवयस्स सेहस्स थोवकालीयं ।

सेसाण यावकहियं तित्थेषु विदेहयाणं च ॥ ३ ॥

तथा छेदः पूर्वपर्यायस्य उपस्थापना च महाव्रतेषु यस्मिन् चारित्रे तच्छेदोपस्था-
यनं, तच्च द्विविधा—सातिचारं निरतिचारं च, तत्र निरतिचारं यदित्वरसामायिकवत-
शैक्षकस्य आरोप्यते तीर्थान्तरसंकान्तौ वा, यथा पार्श्वनाथतीर्थाद् वर्धमानतीर्थ
संक्रामतः पंचयामप्रतिपत्तौ, सातिचारं यन्मूलगुणधातिनः पुनर्वृतोचारणं, उक्तं च—

सेहस्स निरइयारं तित्थन्तरसंकमे व तं होज्जा ।

मूलगुणधाइणो साइयारमुभयं च ठियकणे ॥ १ ॥

‘उभयं चेति’ सातिचारं निरतिचारं च ‘स्थितकल्पे’ इति प्रथमपश्चिमतीर्थकर-
तीर्थकाले ।”

इस उल्लेखमें अनितसे पार्श्वनाथपर्यैत बाईस तीर्थकरोंके साधुओंके जो
छेदोपस्थापनाका अभाव बतलाया है और महाव्रतोंमें स्थित होनेस्थूप
चारित्रको छेदोपस्थापना लिखा है वह मूलाचारके कथनसे भिन्नता जुलता
है । शेष कथनको विशेष अध्या भिन्न कथन कहना चाहिये ।

शुद्धिपत्र

—*—

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८	१८	वादर	वादर
१४	२१	निशासन	निशाशन
२४	५	अणुवत और महावत	अणुवती और महावती
"	२२	पठगं	पठमं
२६	२१	तम्बोलो सहु जलमुहवि	तम्बोलोसहु जल मुहवि
"	"	अंथविए	अत्यसिए
३३	४	—दीयते	—दत्ते
३६	२१	रक्खड़	रक्खड़
३७	१२	पुन	पुण
३९	१८	रक्खड़	रक्खड़
"	१९	बट्टक्रेह	बट्टक्रेहः
४२	१६	सागर	सागर
४३	३, ५	विदियं	विदियं
"	१०	शिवकोठि	शिवकोटि
४८	२३	अभितगतिः	अभितगतिः
४९	१	चतुर्भेदं	चतुर्भेदं
५२	१६	इन्द्रिय	इंद्रिय
५६	३	शस्य	सस्य
५७	२२	तिष्ठन्ते	संतिष्ठन्ते
५८	२१	देसाम्मि	देसम्मि
५९	५	—स्तिष्ठन्	—स्तिष्ठन्
६२	१९	आमतौर	आम तौर

लेखकके दूसरे ग्रंथ

१ स्वामी समन्तभद्र (इतिहासका महान् प्रन्थ)	पृष्ठ २८०,	१।) १)
+ २ जिन-पूजाधिकार भीमांसा,	पृ० ६०	०)
३ ग्रन्थपरीक्षा, प्रथमभाग (उमास्वामिश्वाकाचार, कुन्दकुन्द आ० और जिनसेनत्रिवर्णचारकी परीक्षाएँ)	पृ० १२४	१॥)
४ ग्रन्थपरीक्षा, द्वितीय भाग (भद्रवाहुसंहिताकी विस्तृत आलोचना और परीक्षा)	पृ० १२८	१।)
५ ग्रन्थपरीक्षा, तृतीय भाग (सोमसेनत्रिवर्णचार, धर्मपरीक्षा (श्वेताम्बरी) अकलंकप्रतिष्ठापाठ और पूज्य- पाद-उपासकाचारकी परीक्षाएँ)	पृ० २८०	१॥)
६ उपासनातत्त्व (उपासनाका रहस्य, और मूर्ति- पूजापर विचार)	पृ० ३२	१॥)
७ विवाहका उद्देश्य (द्वितीयाष्टि)	पृ० ३४	१)
+ ८ विवाह-समुद्देश्य ('विवाहका उद्देश्य'की संशोधित और परिवर्धित तृतीयाष्टि)	पृ० ४०	०)
९ बीरपुष्पांजलि (शिक्षाप्रद पद्यावली)	पृ० ६०	१।)
१० विवाहक्षेत्रग्रन्थाश	पृ० १५५	१॥)
११ जैनियोंका अत्याचार (नामसे न चौकिये किन्तु पढ़िये, वही मार्यिक घुस्तक है)	पृ० १८	१)
+१२ अनित्य भावना ('अनित्य पंचाशत्'का पद्यानुवाद)	पृ० २४	०)
+१३ जैनी कौन हो सकता है ?	पृ० १६	०)
१४ शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण	पृ० २४	०)
१५ मेरी भावना (राष्ट्रीय निल्पाठ)	पृ० १६	१॥)
१६ मेरी द्रव्य पूजा	पृ० १६	१॥)
१७ हम दुखी क्यों हैं	पृ० ३२	१॥)
१८ वैद्यानृत्य स्तोत्र	पृ० १६	१॥)

नोट—जिन ग्रन्थोंपर + यह चिह्न दिया है उन्हें अप्राप्य समझिये। उनके फिरसे
छपनेकी जरूरत है। मुख्तारसाहनके सभी ग्रन्थ पट्टने तथा संग्रह करनेके योग्य हैं।

मिलनेका पता:—

जैन-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय
हीराबाग, पो० गिरगांव, बंगलुरु ।

